मध्यप्रदेश शासन

ऊर्जा विभाग

का

वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन

वर्ष 2010–11

भोपाल
शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय
2011

<u>विभागीय वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन वर्ष 2010–2011</u>

अनुक्रमाणिका

क.	विषय–वस्तु	पृष्ठ क्रमांक
1	अध्याय 1	1
	1. विभाग की संरचना एवं कियाकलाप	1
	2. म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग का उत्तरदायित्व	1
	3. ऊर्जा विभाग के अंतर्गत किये गये विभिन्न महत्वपूर्ण कार्य	2–3
2.	अध्याय 2	
	1. विभागाध्यक्ष कार्यालयों की संरचना एवं कियाकलाप	3–5
	भाग 1 – म.प्र. विद्युत निरीक्षकालय एवं उसकी गतिविधियों/कियाकलाप	
	भाग 2 – म.प्र. राज्य विद्युत मंडल	5
	भाग 3 – म.प्र. राज्य विद्युत मंडल एवं कंपनियों की वर्ष 2009–10 की प्रमुख गतिविधियों एवं उपलब्धियों का विवरण	6
	(i) म.प्र. पावर जनरेटिंग कपंनी लिमिटेड की प्रमुख उपलब्धियॉं	6
	अ. ताप विद्युत परियोजनायें	7
	1. सतपुड़ा ताप विद्युत गृह, सारणी 2X250 मेगावाट विस्तार इकाई	7–8
	2. (अ) श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना प्रथम चरण	8–11
	(ब) श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना द्वितीय चरण	11–12
	3. 2X[illegible] 0 मेगावाट बाणसागर विद्युत परियोजना	1[illegible]
	4. 2X600/2X660 मेगावाट संजय गांधी ताप विद्युत गृह	12
	5. 2X600/2X800 मेगावाट चंदिया ताप विद्युत गृह	12
	6. 2X[illegible]00 मेगावाट दादा धुनीवाले थर्मल पावर प्रोजेक्ट	12
	ब. विद्युत परियोजनाओं की स्थापना हेतु प्रदेश में संभाव्यता	13
	1. जल आधारित विद्युत परियोजनाओं हेतु संभाव्यता	13
	2. परमाणु ऊर्जा आधारित विद्युत परियोजनाओं हेतु संभाव्यता	13
	(ii) म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड की प्रमुख उपलब्धियॉं	14
	(iii) एम.पी. पावर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड की प्रमुख उपलब्धियॉं	14
	महेश्वर जल विद्युत परियोजना 10 X 40 मेगावाट	14
	राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम से किये गये दीर्घकालीन विद्युत कय अनुबंधों का विवरण – सोलापुर एस.टी.पी.एस. (2X660 मेगावाट) मौदा एस.टी.पी.एस. स्टेज–II (2X660 मेगावाट) विंध्याचल एस.टी.पी.एस. स्टेज–V (2X500 मेगावाट)	15
	(iv) वितरण के क्षेत्र में विद्युत वितरण कंपनियों की प्रमुख उपलब्धियॉं	15–16
	(अ) म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	16–17
	(ब) म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	17–18
	(स) म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	18–19
3.	अध्याय 3	
	प्रमुख सांख्यिकी – प्रपत्र 1 से 7	20–32

विभागीय वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन वर्ष 2010–2011

अध्याय – 1

ऊर्जा विभाग
विभाग की संरचना एवं कियाकलाप

1 विभागीय संरचना–

मध्यप्रदेश शासन : विभाग का नाम	ऊर्जा विभाग
प्रभारी मंत्री	माननीय श्री राजेन्द्र शुक्ल, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (दिनांक 01.11.2009 से)
सचिवालय	
प्रमुख सचिव / सचिव	श्री एस.पी.एस. परिहार -(दिनांक15.09.2009 से 26.4.2010 तक)
	श्री मोहम्मद सुलेमान (दिनांक 26.4.2010 से)
अपर सचिव एवं	श्री आर.के. कटारे (दिनांक 17.6.2009 से 6.12.2010)
	श्री एम.के.गुप्ता (दिनांक 01.12..2010 से)
उप सचिव	श्री एम.पी. चिंचोलकर (दिनांक 23.2.2010 से23.10.2010 तक)
	श्री कफील अहमद
	श्री मुकुल धारीवाल
	श्री राजेश चौरसिया (दिनांक 25.5.2010 तक)
	श्री एस.के. शर्मा (दिनांक 10.11.2010 से)
अवर सचिव	श्री के.सी. दुबे (दिनांक 10.9..2010 तक)
	श्रीमती कमला अजीतवार (दिनांक 27.9.2010 से)
विभागाध्यक्ष :	
मुख्य अभियंता (विद्युत सुरक्षा) एवं मुख्य विद्युत निरीक्षक	श्री एस.एस. मुजाल्दे

2 **म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग का उत्तरदायित्व :**
वर्तमान में प्रदेश में विद्युत उत्पादन, पारेषण, ट्रेडिंग एवं तीन वितरण कंपनियॉ कार्यरत हैं जो कि अपने संचालक मंडल के निर्देशानुसार संचालित एवं राज्य शासन के अधीन है। वर्तमान में ऊर्जा विभाग के नियंत्रण में म.प्र. विद्युत निरीक्षकालय भी कार्यरत है.

क.	कंपनी/निगम/विभाग	कार्य क्षेत्र	प्रमुख कार्य
(1)	(2)	(3)	(4)
1	म.प्र. पावर जनरेटिंग कंपनी लिमि., जबलपुर	विद्युत उत्पादन एवं विद्युत मांग की पूर्ति	प्रदेश में मांग अनुसार ताप, जल विद्युत का उत्पादन
2	एम.पी. पावर ट्रेडिंग कंपनी लिमि., जबलपुर	विद्युत मांग की पूर्ति	प्रदेश में मांग के अनुसार पूर्ति एवं उपलब्धता सुनिश्चित करना एवं आवश्यकतानुसार विद्युत का कय/विकय करना.
3	म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमि., जबलपुर, म.प्र. पूर्व/पश्चिम/मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमि., जबलपुर/ इंदौर/भोपाल	विद्युत पारेषण एवं वितरण	विद्युत उपभोक्ताओं की मांग की पूर्ति/विद्युत वितरण.
4	मुख्य अभियंता (विद्युत सुरक्षा) एवं मुख्य विद्युत निरीक्षक	विद्युत सुरक्षा एवं निरीक्षण.	घरेलू एवं औद्योगिक आदि उपयोगकर्ताओं के विद्युत प्रदाय के कार्यों का निरीक्षण,

विद्युत शुल्क एवं उपकर की प्राप्ति, विद्युत सुरक्षा एवं विद्युत ऊर्जा के चोरी/दुरूपयोग की रोकथाम, निजी विद्युत उत्पादकों को अनुमति आदि.

3 **ऊर्जा विभाग के अंतर्गत किये गये विभिन्न महत्वपूर्ण कार्य–**

(अ) राज्य में विद्युत के उत्पादन को बढावा देने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा समय–समय पर नीतिगत निर्णय लिये जाते रहे है। इसी तारतम्य में ऊर्जा विभाग द्वारा इण्डीपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट्स (IPPs) की स्थापना को दृष्टिगत रखते हुये मध्यप्रदेश (इनवेस्टमेंट इन पावर जनरेशन प्रोजेक्ट्स) पॉलिसी, 2010 दिनांक 6 सितंबर, 2010 को जारी की गई।उपरोक्त नीति के प्रावधान अनुसार दिनांक 22–23 अक्टूबर, 2010 को खजुराहो में संपन्न "खजुराहो समिट – 2" में 19 निजी क्षेत्र की कंपनियों से 27140 मेगावाट क्षमता के मेगा प्रोजेक्ट्स की स्थापना हेतु रू. 1,41,550 करोड़ के निवेश के 22 समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किये गये। हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन की जानकारी **प्रपत्र–7** में दर्शाये अनुसार है।

(ब) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत ऊर्जा के क्षेत्र में अधोसंरचना के विकास के लिये 33 किलो वोल्ट लाईनो तक के कार्यो के लिये राज्य की तीनों विद्युत वितरण कपनियों के कार्यपालन अभियंता स्तर के अधिकारियों को विद्युत निरीक्षक की शक्तियां प्रत्यायोजित की गई है एवं विभिन्न योजनाओं जैसे कि फीडर विभक्तिकरण स्कीम, ए.डी.बी. स्कीम, आर.–ए.पी.डी.आर.पी. स्कीम तथा केन्द्र प्रवर्तित स्कीमों के अंतर्गत 33 किलोवोल्ट्स लाईन के नीचे के विद्युतीकरण के कार्यो को गति देने के उद्देश्य से वितरण कपनियों के कार्यपालन अभियंता स्तर के अधिकारियों को विद्युत निरीक्षक की शक्तियां प्रत्यायोजित करने की कार्यवाही की जा रही है।

(स) राज्य में समग्र तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियो को कम करने के शासन स्तर पर सतत् प्रयास किये जा रहे हैं। बिजली की चोरी एवं उसके दुरूपयोग को रोकने के उद्देश्य से राज्य में विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अंतर्गत विशेष न्यायालयों का गठन किया गया है। वर्तमान में राज्य में कुल 112 विशेष न्यायालय कार्यरत हैं। इन 112 विशेष न्यायालयों में से भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सागर में 10 विशेष न्यायालयों का गठन केवल विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अंतर्गत पंजीकृत प्रकरणों के निराकरण हेतु किया गया है एवं जिला छिंदवाड़ा, खंडवा, होशंगाबाद, मंदसौर, मुरैना, रीवा, सतना, सीधी, टीकमगढ़ एवं उज्जैन में 10 और विशेष न्यायालयों का गठन प्रकियाधीन है।

(द) फीडरों का विभक्तिकरण योजना का कार्यान्वयन–ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत की उपलब्धता सुनिष्चित करने के उद्देश्य से कृषि सिंचाई पम्पों एवं घरेलू आबादी एवं अन्य उपयोग हेतु विद्युत प्रदाय कर रहे फीडरों को अलग कर फीडर विभक्तिकरण का कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में फीडर विभक्तिकरण योजनान्तर्गत एवं अन्य योजाओं के अन्तर्गत राज्य शासन के बजट में प्रावधान कर दिनांक 30.11.2010 की स्थिति में 535 फीडरों का विभक्तिकरण किया गया है।

केन्द्र से प्राप्त एकमुश्त केन्द्रीय सहायता (ACA) के अंतर्गत रू. 70 करोड़ ~~के फीडर~~ विभक्तिकरण के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) प्रस्तुत किये गये। योजना आयोग, भारत सरकार से प्राप्त स्वीकृति के अनुसार एकमुश्त केन्द्रीय सहायता (CA) के अंतर्गत 30 प्रतिशत राशि केन्द्र सरकार से तथा शेष 70 प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा अनुदान के रूप में फीडर विभक्तिकरण हेतु उपलब्ध करवाई जायेगी।

फीडर विभक्तिकरण के लिये ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (REC) एवं एशियाई विकास बैंक (ADB) से ऋण प्राप्त करने के प्रस्ताव पर ग्रामीण विद्युतीकरण निगम एवं एशियाई विकास बैंक से स्वीकृति प्राप्त हो गई है। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से प्राप्त ऋण के अंतर्गत फीडर विभक्तिकरण की योजना में प्रथम चरण में 23 जिलों के 1970 फीडरों के विभक्तिकरण

कार्य जून 2012 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है, प्रथम चरण हेतु ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा रूपये 1834 करोड़ का ऋण स्वीकृत किया है, जिस हेतु राज्य शासन द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को गारंटी प्रदान कर दी गई है।

फीडर विभक्तिकरण योजना के द्वितीय चरण में राज्य के अन्य 24 जिलों में 2957 फीडरों के विभक्तिकरण, एशियाई विकास बैंक से प्राप्त ऋण से किया जाना प्रस्तावीत है। द्वितीय चरण में फीडर विभक्तिकरण का कार्य दिसम्बर 2012 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। द्वितीय चरण हेतु योजना की लागत का 80 प्रतिशत (चार सौ मिलियन डालर, लगभग 1840 करोड़ रूपये) ऋण के रूप में एशियाई विकास बैंक से प्राप्त होगा। शेष 20 प्रतिशत राशि काउन्टर फण्डिंग के लिये राज्य शासन द्वारा तीनो वितरण कंपनियों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जा रहा है।

जिन ग्रामीण फीडरों को फीडर विभक्तिकरण योजना के अंतर्गत विभक्त किया जाएगा, उन फीडरों से संबंधित क्षेत्रों को तहसील मुख्यालय के समान प्रतिदिन 16 घंटे विद्युत आपूर्ति की योजना राज्य शासन की है। फीडर विभक्तिकरण योजना पूर्ण होने के पश्चात जनवरी 2013 से ग्रामीण घरेलू आबादी हेतु 24 घंटे तथा कृषि सिंचाई पंपों हेतु 8 घंटें विद्युत आपुर्ति किये जाने की राज्य शासन की योजना है।

फीडर विभक्तिकरण हेतु वर्तमान में किये गये कार्यो के फलस्वरूप इन क्षेत्रों में तकनीकी हानियों में कमी के साथ–साथ विद्युत प्रदाय की गुणवत्ता में सुधार हुआ है तथा वोल्टेज में बढ़ोत्तरी परिलक्षित हुई है।

अध्याय –2

विभागाध्यक्ष कार्यालयों की संरचना एवं क्रियाकलाप

भाग–1

4. मध्यप्रदेश विद्युत निरीक्षकालय एवं उसकी गतिविधियां/क्रियाकलाप

मध्यप्रदेश विद्युत निरीक्षकालय का प्रमुख उत्तरदायित्व "टैक्नोलीगल" प्रकार का है, जिसके अंतर्गत निम्न अधिनियम तथा नियमों के प्रशासन का उत्तरदायित्व आता है।

(1) विद्युत अधिनियम, 2003
(2) भारतीय विद्युत नियम, 1956
(3) मध्यप्रदेश सिनेमा गृह नियम, 1972
(4) मध्यप्रदेश अनुज्ञापन मण्डल (विद्युत) विनियम, 1960
(5) मध्यप्रदेश विद्युत शुल्क अधिनियम/नियम, 1949
(6) मध्यप्रदेश उपकर अधिनियम, 1981 (उर्जा विकास उपकर)

विभागीय संरचना :–

विभाग की वर्तमान संरचना वर्ष 1982 के कार्यभार (विद्युत स्थापनाओं की संख्या) पर आधारित है । विद्युत निरीक्षकालय में स्वीकृत कुल पदों की संख्या 385 है जिनमें राजपत्रित वर्ग से प्रथम श्रेणी के 14, द्वितीय श्रेणी के 46, तृतीय श्रेणी के 239 एवं चतुर्थ श्रेणी के 86 पद स्वीकृत है तथा इन पदो के अतिरिक्त विभिन्न संवर्गो के 209 नवीन पद स्वीकृत किये गये हैं। विभाग में अधीनस्थ कार्यालयों में से 2 वृत्त कार्यालय इन्दौर एवं जबलपुर में कार्यरत हैं एवं जिला स्तर पर 7 संभागीय कार्यालय तथा जिला/तहसील स्तर पर 34 उपसंभागीय कार्यालय कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त 1 अप्रैल, 2011 से 2 वृत्त कार्यालय, 7 संभागीय कार्यालय तथा 17 उपसंभागीय कार्यालयों की स्थापना की जानी है। राज्य शासन के अधीन विद्युत निरीक्षकालय कार्यालयों की जानकारी निम्नानुसार है–

क्र.	कार्यालय	कार्यालय प्रमुख	वर्तमानमें कार्यशील कार्यालयों की संख्या	1अप्रैल,2011 से प्रस्तावीत नवीन कार्यालयों की संख्या
1	मुख्य विद्युत निरीक्षकालय	मुख्य अभियंता (वि.सु.) मुख्य विद्युत निरीक्षक	1	—
2	वृत्त कार्यालय	अधीक्षण यंत्री (वि.सु.) एवं उपमुख्य विद्युत निरीक्षक	2	2
3	संभागीय कार्यालय	कार्यपालन यंत्री एवं संभागीय विद्युत निरीक्षक	7	7
4	उपसंभागीय कार्यालय	सहायक यंत्री (वि.सु.) एवं सहायक विद्युत निरीक्षक	34	17

आय तथा व्यय :–

विद्युत निरीक्षकालय को विभिन्न नियमों एवं अधिनियमों के अन्तर्गत निरीक्षण एवं अनुज्ञापन शुल्क,विद्युत कर एवं उपकर से राजस्व प्राप्त होता है जो कि राज्य शासन की संचित निधि में संग्रहित होता है। विद्युत निरीक्षकालय के लिये पृथक से बजट स्वीकृत नहीं किया जाता है । विद्युत निरीक्षकालय के अन्तर्गत आय एवं व्यय की जानकारी निम्नानुसार है–

आय (आँकड़े करोड़ रूपये में) :– वित्तीय वर्ष 2009–10 में रू. 973.80 करोड़ आय हुई थी, जबकि वित्तीय वर्ष 2010–11 के लिये रू. 1090 करोड का लक्ष्य रखा गया है।

व्यय (आँकड़े करोड़ रूपये में) :– वित्तीय वर्ष 2009–10 में रू. 9.89 करोड़ का व्यय हुआ था, इस वित्तीय वर्ष 2010–11 में दिनांक 31 अक्टूबर, 2010 तक रू. 14.38 करोड का व्यय प्रावधिक है।

विभागीय गतिविधियां (सांख्यिकी)

विद्युत दुर्घटनायें :–

राज्य में घटित होने वाली विद्युत दुर्घटनाओं का संबंध विद्युत संस्थापनाओं से होता हैं, जिनकी जांच उपरांत इनकी रोकथाम के लिये तथा दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही हेतु निर्देश दिये जाते हैं । अन्य विद्युत दुर्घटनाओं के संबंध में जहां विद्युत दुर्घटनाओं में गंभीर दुर्घटनायें पाई जाती हैं, वहां सीधे न्यायालय में प्रकरण दायर कर अभियोजन की कार्यवाही की जाती है ।

विद्युत दुर्घटनाओं के मुख्य कारण निम्नानुसार हैं :–

1 टूटे तारों के सम्पर्क में आना ।
2 अज्ञानतावश बिजली के खंबे तथा टावरों पर चढ़ना ।
3 अप्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा कार्य करना ।
4 विद्युत की लाईनो एवं उपकरणों में लीकेज होना।
5 राज्य में घटित विद्युत दुर्घटनायें –

इस वर्ष दि. 31 अक्टूबर 2010 तक कुल 147 विद्युत दुर्घटनाएं दर्ज हुई।

उच्चदाब उपभोक्ताओं एवं उत्पादकों की संख्या :–

इस वर्ष 31 अक्टूबर 2010 की स्थिति में कुल 3507 उच्चदाब उपभोक्ता एवं 8287 उत्पादक पंजीकृत है।

निरीक्षण एवं परीक्षण :–

औद्योगिक तथा कृषि संबंधी विद्युत स्थापनाओं के निरीक्षण भी विभाग द्वारा किये जाते हैं । इस प्रकार ऊपर बतायी गई विद्युत स्थापनाओं को सम्मिलित करते हुए इस वर्ष 78 हजार संस्थापनाओं का निरीक्षण किया गया।

अनुज्ञापन मण्डल :–

भारतीय विद्युत नियम, 1956 के नियम 45 के अंतर्गत मध्यप्रदेश अनुज्ञापन मण्डल (विद्युत) विनियम, 1960 बनाये गये हैं । जिसके अंतर्गत विभाग द्वारा वर्ष में केवल जुलाई के महिने में तारमिस्त्री एवं पर्यवेक्षक सक्षमता प्रमाण–पत्र एवं अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु परीक्षायें प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर आयोजित की जाती है। तारमिस्त्री परिक्षाओं का संचालन प्रत्येक संभागीय कार्यालय स्तर पर गठित संभागीय अनुज्ञापन समिति द्वारा किया जाता है । पर्यवेक्षक परिक्षायें मुख्यालय भोपाल में गठित अनुज्ञापन मण्डल के अधीन आयोजित की जाती है ।

तारमिस्त्री परिक्षायें निम्न स्थानों पर आयोजित की जाती है :–

1. रतलाम	2. उज्जैन	3. ग्वालियर	4. भोपाल	5. इन्दौर	6. सतना
7. खण्डवा	8. जबलपुर	9. सीहोर	10.शहडोल	11.छिंदवाड़ा	12.बैतूल

पर्यवेक्षक परीक्षा निम्न केन्द्रों पर आयोजित की जाती है :–

1. भोपाल   2. जबलपुर   3. शहडोल

मध्यप्रदेश अनुज्ञापन मण्डल (विद्युत) भोपाल द्वारा "अ" वर्ग विद्युत ठेकेदारों एवं पर्यवेक्षकों को अनुज्ञप्ति जारी की जाती है । जबकि संभागीय अनुज्ञापन एवं क्षेत्रीय अनुज्ञापन समितियों द्वारा "ब" वर्ग विद्युत ठेकेदारी अनुज्ञप्ति एवं तारमिस्त्रीयों को परमिट जारी किये जाते हैं। इस वर्ष अद्यतन स्थिति में दिनांक 31 अक्टूबर, 2010 तक नवीन विद्युत ठेकेदारी के 393 अनुज्ञप्तियॉं, 58 पर्यवेक्षक परमिट तथा 1794 तारमिस्त्री परमिट जारी किये गये है।

विद्युत शुल्क एवं उर्जा विकास उपकर :–

मध्यप्रदेश विद्युत शुल्क अधिनियम/नियम 1949 एवं मध्यप्रदेश उपकर अधिनियम,1981 (ऊर्जा विकास उपकर) के अंतर्गत वर्ष 2010–11 में विद्युत प्राप्त कर रहे उपभोक्ताओं एवं स्वयं के उत्पादकों से उत्पादित विद्युत खपत पर विद्युत शुल्क एवं ऊर्जा विकास उपकर का 31 अक्टूबर, 2010 तक की स्थिति में 3507 उच्चदाब उपभोक्ता एवं 8287 उत्पादकों से विद्युत शुल्क एवं ऊर्जा विकास उपकर के रिकार्ड का रखरखाव किया जा रहा है।

भाग–2

5. म.प्र.राज्य विद्युत मंडल, जबलपुर

मंडल का गठन

म. प्र. राज्य विद्युत मंडल का गठन :–

क्रमांक	नाम	पद
1.	श्री राकेश साहनी श्री पंकज अग्रवाल (भा.प्र.से.)	अध्यक्ष, म.प्र.राज्य विद्युत मंडल(दिनांक 21.9.2010 तक) अध्यक्ष, म.प्र.राज्य विद्युत मंडल(दिनांक 13.10.2010 से)
2.	श्री पंकज अग्रवाल (भा.प्र.से.)	अध्यक्ष एवं प्रबंध संचालक, म.प्र. पूर्व क्षेत्र वि.वि.कं.लि., जबलपुर (पदेन सदस्य)
3.	श्री आर. के. वर्मा	अध्यक्ष एवं प्रबंध संचालक, म.प्र. पॉवर ट्रांसमिशन कं.लि.,जबलपुर (पदेन सदस्य)
4.	श्री संजय कुमार शुक्ला (भा.प्र.से.)	अध्यक्ष एवं प्रबंध संचालक, म.प्र.मध्य क्षेत्र वि.वि.कं.लि. भोपाल (पदेन सदस्य)
5.	श्री ए.एम. साजनानी	अध्यक्ष एवं प्रबंध संचालक, म.प्र.पॉवर जनरेटिंग कं.लि., जबलपुर (पदेन सदस्य)
6.	श्री डी.पी.आहूजा (भा.प्र.से.)	अध्यक्ष एवं प्रबंध संचालक, म.प्र.पश्चिम क्षेत्र वि.वि. कं.लि. इंदौर(पदेन सदस्य)
7.	श्री जी.पी. सिंघल (भा.प्र.से.)	प्रमुख सचिव (वित्त), म.प्र.शासन, भोपाल,(पदेन सदस्य)
8.	श्री मोहम्मद सुलेमान (भा.प्र.से.)	सचिव (ऊर्जा),म.प्र.शासन, भोपाल,(आमंत्रित सदस्य)
9.	श्री डी.के.गुप्ता	वित्तीय सलाहकार,(अतिरिक्त प्रभार)

अधीनस्थ कार्यालय

मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल एवं छः कंपनियों के कार्यालयों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रीय/वृत्त/संभागवार वितरण केन्द्रों की संख्या संलग्न प्रपत्र–1 में दर्शायी गई है।

भाग–3

म.प्र.राज्य विद्युत मंडल एवं कम्पनियों की वर्ष 2009–10 की प्रमुख गतिविधियों एवं उपलब्धियाँ का विवरण

आर्थिक स्थिति–मंडल तथा समस्त कंपनियों के राजस्व लेखों का विवरण

कंपनियों यथा म.प्र.पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड (जबलपुर), म.प्र.पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (जबलपुर), म.प्र.पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (जबलपुर), म.प्र.मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (भोपाल), म.प्र.पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (इन्दौर) एवं म.प्र.पॉवर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड (जबलपुर) के वार्षिक राजस्व लेखों का विवरण वर्ष 2008–09 एवं वर्ष 2009 –10 (31 मार्च 2010 तक) के लिये प्रपत्र–2 में एवं वार्षिक योजना वर्ष 2009–10 एवं 2010–11 के परियोजनावार स्वीकृत परिव्यय व प्रावधिक व्यय की जानकारी प्रपत्र–3 (ए एवं बी) में दर्शायी गयी है।

मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मण्डल एवं उसकी उत्तरवर्ती कम्पनियों की प्रमुख उपलब्धियाँ

(i) म.प्र.पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड की प्रमुख उपलब्धियाँ

विद्युत उत्पादन की स्थापित क्षमता – वर्तमाान में म.प्र.पॉवर जनरेटिंग कपनीं लिमि. की कुल ताप एवं जल विद्युत स्थापित क्षमता 3847.5 मेगावाट है जिसमें ताप विद्युत क्षमता 2932.5 मेगावाट एवं जल विद्युत क्षमता 915 मेगावाट है। (31.10.2010 की स्थिति में)

वर्ष 2010–11 मे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा ताप एवं जल विद्यूत उत्पादन का लक्ष्य क्रमषः 18840 मिलियन इकाई एवं 2694 मिलियन इकाई निर्धारित किया है । वर्ष 2010–11 में सितंबर, 2010 तक कुल ताप एवं जल विद्युत उत्पादन क्रमषः 6873.6 मिलियन इकाई एवं 731 मिलियन इकाई हुआ।

संयंत्र उपयोगिता घटक –

किसी भी विद्युत उत्पादन कंपनी की कार्य कुशलता एवं क्षमता का द्योतक ,उसके ताप विद्युत गृहों में स्थापित विद्युत इकाइयों का संयंत्र उपयोगिता घटक होता है । विगत दो वर्षों में म.प्र.पॉवर जनरेटिंग कपनीं लिमि. के ताप विद्युत गृहों का संयंत्र उपयोगिता घटक निम्नानुसार रहा है –

वर्ष	संयंत्र उपयोगिता घटक प्रतिशत में
2009–10	62.86
2010–11 (31 दिसम्बर 2010 की स्थिति में)	57.06

प्रदेश के बिरसिंहपुर, सारणी एवं अमरकंटक ताप विद्युत गृहों के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण एवं कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2009–10 हेतु कुल 150 लाख मीट्रिक टन कोयले का आवंटन ए.सी.क्यू. के रूप में किया गया था, किन्तु अनुबंधित मात्रा के विरूद्ध केवल 136.81 लाख मीट्रिक टन कोयला प्राप्त हुआ जिससे विद्युत उत्पादन प्रभावीत हुआ। वर्ष 2010–11 के लिए ए.सी.क्यू. 150 लाख मेट्रिक टन था। इस दृष्टि से दिस्मबर 10 तक 108 लाख टन कोयला प्राप्त होना था जिसके विरूद्ध कुल 94.03 लाख टन कोयला उपलब्ध हो सका। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2010–11 के लिए ताप विद्युत गृहों हेतु पीएलएफ 74.40 निर्धारित किया गया है जिसके लिए 170 लाख मीट्रिक टन कोयले की आवश्यकता है वर्तमान में कम कोयला प्राप्त होने से मानक पीएलएफ के लक्ष्य को प्राप्त करने में कठिनाई आ रही है।

इस वर्ष 2010–11 में माह मई 2010 से अक्टूबर 2010 तक सतपुड़ा ताप विद्युत गृह, सारणी एवं संजय गांधी ताप विद्युत गृह, बिरसिंहपुर की इकाईयों को कोयले की उपलब्धता में अत्याधिक कमी के कारण आंशिक भार पर चलाना पड़ा।

दिनांक 21 जुलाई, 2009 से 26 अगस्त, 2010 तक की अवधि में अमरकंटक ताप विद्युत गृह की इकाई कमांक 4 को आधुनिकीकरण एवं नवीनीकरण कार्यो के चलते बंद रखना पड़ा।

दिनांक 20 सितम्बर,, 2010 से अमरकंटक ताप विद्युत गृह की इकाई कमांक 3 में आधुनिकीकरण एवं नवीनीकरण के कार्यो को किया जा रहा है।

दिनांक 22 मई, 2010 से 23 जुलाई, 2010 तक की अवधि में पानी की उपलब्धता में कमी के कारण अमरकंटक ताप विद्युत गृह की इकाई कमांक 3 को बंद रखना पड़ा।

म.प्र.पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड के ताप विद्युत गृहों की 17 इकाईयों में से 11 इकाईयों की आयु 25 वर्ष से अधिक हो गई है एवं सतपुड़ा ताप विद्युत गृह कमांक 1 की समस्त इकाईयों की आयु 40 वर्ष से अधिक हो चुकी है। इन इकाईयों में आधुनिकीकरण एवं नवीनीकरण के कार्य कराये जाने अत्यावश्यक है, परन्तु प्रदेश में विद्युत की आपूर्ति में निरंतरता अक्षुण रखने के उद्देश्य से एवं वित्तीय संसाधनों की कमी के चलते इन इकाईयों के आधुनिकीकरण एवं नवीनीकरण के कार्य लंबित है।

म.प्र.पॉ.जन.कं.लि. के ताप एवं जल विद्युत गृहों की स्थापित क्षमता का विवरण 30 सितंबर 2010 की स्थिति में प्रपत्र–4 में दर्शाया गया है एवं पश्चिम क्षेत्र स्थित केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं में मध्यप्रदेश के अंश की जानकारी प्रपत्र–5 (ए से डी तक) में दर्शाये अनुसार है।

(अ)ताप विद्युत परियोजनायें

1.सतपुड़ा ताप विद्युत गृह सारणी 2x250 मेगावाट विस्तार इकाई – प्रदेश में व्याप्त विद्युत की कमी की पूर्ति हेतु म.प्र. पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड द्वारा स्टेट सेक्टर में नवीन ताप विद्युत परियोजनाओं की स्थापना हेतु प्रयास किये जा रहे हैं, ताकि प्रदेश की स्थापित विद्युत क्षमता में वृद्धि की जा सके। इसी तारतम्य में जनरेटिंग कंपनी द्वारा सतपुड़ा ताप विद्युत गृह, सारणी में 2X250 मेगावाट क्षमता की 2 विस्तार इकाइयों की स्थापना की जा रही है।

राज्य शासन की स्वीकृति

राज्य शासन की प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 29.06.06 द्वारा जारी की गई। परियोजना हेतु दिशा–निर्देश निदेशक मंडल की बैठक दिनांक 26.08.2006 में प्रदान किये गये। भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण के पत्र दि. 17.06.09 द्वारा 275 मीटर ऊँचाई की चिमनी के निर्माण हेतु पुनरीक्षित अनापत्ति जारी की गई है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र दि.27.02.09 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

भू–अधिग्रहण

परियोजना के मुख्य संयंत्र के लिए भूमि उपलब्ध है। प्रस्तावित परियोजना के राखड़ बांध हेतु करीब 130 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है। भू अधिग्रहन अधिनियम की धारा–9 के अंतर्गत जन सुनवाई के आधार पर जिले के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा क्षतिपूर्ति के मूल्यांकन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।अवार्ड पारित कर दिया गया है। मुआवजा वितरण की कार्यवाही प्रारंभ की जाना है।

जिला बैतूल में घोड़ाडोंगरी रेल्वे साइडिंग के पास रेल्वे लाइन के निर्माण हेतु 0.87 हेक्टेयर निजी भूमि अधिग्रहित करना आवश्यक है। भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव तैयार कर कलेक्टर, बैतूल को कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया। प्रकियान्तर्गत् ग्राम सभा का आयोजन कर धारा 4 के तहत नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है।

वित्तीय प्रबंध

पुनरीक्षित परियोजना लागत रु. 3032.34 करोड़ आकलित है। पी.एफ.सी ने इस परियोजना हेतु कुल 2300.2 करोड़ ऋण स्वीकृत किया है। परियोजना का वित्तीय पोषण 80:20 के अनुपात में पी.एफ.सी. से ऋण तथा राज्य शासन से अंशपूंजी द्वारा किया जाना है।

मुख्य संयंत्र की स्थापना:– मुख्य संयंत्र की स्थापना (ई पी सी आधार पर) हेतु मेसर्स बी.एच.ई.एल को आशय पत्र दिनांक 10.03.08 को जारी किया गया था ।

वित्तीय वर्ष 2009–10 – उपलब्धियॉं

- **कोयले की दीर्घकालिक पूर्ति** – डब्ल्यू.सी.एल द्वारा 1.8513 मिलियन टन प्रतिवर्ष कोल प्रदाय हेतु आशय पत्र जारी किया गया।

- **मुख्य संयंत्रः–** बी.एच.ई.एल द्वारा जी.ओ टेक्निकल सर्वे का कार्य पूर्ण किया गया तथा नवंबर 2009 में सिविल कार्य प्रारंभ किया गया।
- **अन्य संयंत्र (बैलेंस ऑफ प्लांट):–** अन्य संयंत्रों हेतु पुनर्निविदायें आमंत्रित । प्रीक्वालिफिकेशन निविदाओं के आधार पर प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण कर चार निविदाकारों को निविदा प्रपत्र जारी किये गये। अन्य संयंत्रों के कार्य हेतु न्यूनतम निविदाकार मेसर्स मेकनलै भारत, कलकत्ता को आदेश प्रसारित करने हेतु प्रस्ताव को संचालक मंडल की बैठक में अनुमोदित किया गया।

वित्तीय वर्ष 2010–11 – उपलब्धियाँ

- बॉयलर फाउंडेशन इकाई क्रमांक 10 एवं इकाई क्रमांक 11 का कार्य पूर्ण हो चुका है। ईएसपी फाउण्डेशन इकाई क्र. 10 का कार्य पूर्ण हो चुका है एवं 11 का कार्य प्रगति पर है।
- टी.जी. (हॉल) इकाई क्रमांक 10 एवं 11 के खुदाई का कार्य पूर्ण होकर पी.सी.सी एवं आर.सी.सी का कार्य प्रगति पर है।
- बीएचईएल. द्वारा ई.एस.पी सामग्री, बॉयलर सामग्री मिल सामग्री एवं टरबाईन सामग्री आदि की सप्लाई प्रगति पर है। बॉयलर इरेक्शन का कार्य प्रारम्भ किया गया एवं कार्य प्रगति पर है।
- ई.एस.पी. इरेक्शन का कार्य प्रारम्भ किया गया एवं कार्य प्रगति पर है।
- बैलेंस ऑफ प्लांट (बी.ओ.पी.) का आदेश जारी किया गया।
- बैलेंस ऑफ प्लांट (बी.ओ.पी.) के कांट्रेक्टर द्वारा टोपोग्राफी एवं जीयो टेक्नीकल सर्वे का कार्य पूर्ण हो चुका है एवं डिजाइन व इंजीनियरिंग का कार्य प्रारंभ कर दिया है। कांट्रेक्टर द्वारा चिमनी, एन.डी.सी.टी एवं वेगन ट्रिपलर के सिविल कार्य के अन्तर्गत खुदाई का कार्य शुरू कर दिया है।
- थर्ड पार्टी इन्सपेक्शन हेतु आदेश जारी किया गया।
- प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप हेतु मेसर्स एनटीपीसी, नोएडा को आशय पत्र जारी किया गया।
- प्रस्तावित परियोजना के राखड़ बांध हेतु भूमि का अधिग्रहण।
- बी.एच.ई.एल. द्वारा इकाई क्रमांक 10 के बॉयलर ड्रम की लिफ्टिंग दिनांक 10.12.2010 को की गई।

वित्तीय वर्ष 2010–11 के लक्ष्य

- टी.जी. (हॉल) फाउण्डेशन कार्य पूर्ण कर स्ट्रक्चर इरेक्शन का प्रारम्भ।
- मुख्य संयंत्र के सिविल कार्य, उपकरणों की आपूर्ति एवं इरेक्शन प्रगति पर।
- बैलेंस ऑफ प्लांट (बी.ओ.पी.) के सिविल कार्य, उपकरणों की आपूर्ति एवं इंरेक्शन प्रगति पर।
- रेलवे साइडिंग हेतु रेल्वे द्वारा डी.पी.आर. प्लान की स्वीकृति तथा विस्तार रेलवे साइडिंग सिविल कार्य प्रगति पर।
- इकाई क्रमांक 11 के बॉयलर ड्रम की लिफ्टिंग – फरवरी 2011 में संभावित।
- कंडेंसर इरेक्शन आंरभ – मार्च 2011 में संभावित।

2.(अ)श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना (2X600 मेगावाट प्रथम चरण)ग्राम–डोंगलिया जिला–खंडवा

श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना में माननीय ऊर्जा मंत्री म.प्र. शासन के साथ दिनांक–06.10.10 को संपन्न हुई बैठक में मेसर्स बीएचईएल द्वारा इकाईयों को कियाशील किये जाने का निम्नानुसार संशोधित कार्यक्रम किया गया –

इकाई क. 1 – जुलाई.2012 (सिंक्रोनाइजेशन) एवं अगस्त. 2012 (व्यवसायिक उत्पादन)
इकाई क. 2 – नवंबर.2012 (सिंक्रोनाइजेशन) एवं दिसम्बर. 2012 (व्यवसायिक उत्पादन)

परियोजना लागत– परियोजना लागत– रु. 6750 करोड़ ।
ऋण –रु. 5160.42 करोड़ एवं अंशपूंजी –रु. 1350 करोड़ ।

संयंत्र हेतु मुख्य आदेश

(अ) मेन पॉवर ब्लॉक (MPB) – मेन पॉवर ब्लॉक हेतु कार्य आदेश मेसर्स बीएचईएल को दिनांक 02.12.08 को जारी किये गये ।

(ब) शेष संयंत्र (BOP) – शेष संयंत्र के कार्यो हेतु कार्यादेश मेसर्स एल.एंड.टी. लि. बड़ोदरा को दिनांक 26.10.2009 को जारी किये गये।

वैधानिक तथा औपचारिक स्वीकृतियों की स्थिति

परियोजना हेतु आवश्यक सभी वैधानिक तथा औपचारिक स्वीकृतियॉ/अनापत्तियॉ एवं मेगा पॉवर प्रोजेक्ट का दर्जा प्राप्त है ।

कोल लिकेंज

कोल लिंकेज पुनर्स्थापित कर दिया गया है।

परियोजना निर्माण कार्यों की प्रगति

- मेसर्स बीएचईएल द्वारा डिजाईन इंजीनियरिंग का कार्य प्रगति पर है। बीएचईएल द्वारा बॉयलर सामाग्री की आपूर्ति की जा रही है जिसके अंतर्गत मेसर्स बीएचईएल त्रिची से लगभग 19606 मी. टन (44.5 प्रतिशत) सामग्री मेसर्स बीएचईएल,रानीपेठ से लगभग 11300 मी. टन (50 प्रतिशत) सामग्री तथा मेसर्स सेल से लगभग 36232 मी. टन स्टील की आपूर्ति की जा चुकी है। इकाई क.–1 के बॉयलर फाउन्डेशन एवं ईएसपी फाउंडेशन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इकाई क.–1 के टी. जी. क्षेत्र का खुदाई कार्य जारी है। इकाई क.–1 के बॉयलर इरेक्शन का कार्य प्रगति पर है। इकाई क.–2 में बॉयलर एवं ईएसपी का खुदाई का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तत्पश्चात् पीसीसी एवं आरसीसी कार्य प्रगति पर है।
- शेष संयंत्र के डिजाईन इंजीनियरिंग का कार्य एवं सिविल कार्य प्रगति पर है। चिमनी की खुदाई का कार्य एवं पीसीसी कार्य पूर्ण करने के पश्चात् राफ्ट पूर्ण किया गया । स्लिप फार्म असेम्बली का कार्य प्रगति पर है। कूलिंग टॉवर क.–1 एवं 2 में पीसीसी एवं आरसीसी कार्य प्रगति पर है। वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट एवं सीएचपी के ट्रेक हॉपर के लिये पीसीसी कार्य जारी है।
- इकाई क.– 1 एवं 2 के बॉटम एश हॉपर का फाउंडेशन कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
- स्थायी विद्युत आपूर्ति व्यवस्था बावत् सब स्टेशन के निर्माण हेतु कार्यादेश मेसर्स अग्रवाल एजेंसीज, जबलपुर को जारी किये गये । मेसर्स अग्रवाल एजेंसीज द्वारा 11 के.व्ही. लाइन व 33 के. व्ही. सब स्टेशन का कार्य किया जा रहा है।
- लेवलिंग ग्रेडिंग कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा शेष अन्य सिविल कार्य प्रगति पर है।
- थर्ड पार्टी इन्सपेक्शन हेतु कार्यादेश मेसर्स राईट्स को जारी किया गया जिसके अंतर्गत कार्य जारी है ।
- प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग कार्य हेतु कार्यादेश मेसर्स एन.टी.पी.सी. को जारी किया गया। मेसर्स एनटीपीसी ने साइट पर कार्य प्रारंभ कर दिया है।
- रेल ट्रांसपोर्टेशन स्टडी पर रेलवे ने सैद्धातिक स्वीकृति प्रदान कर दी है।रेलवे परिवहन प्रणाली के कार्य संपादन हेतु मे. राइटस् को परामर्शदाता नियुक्त किया गया है।

वर्ष 2009–10 में परियोजना की विशेष उपलब्धियाँ

- लेवलिंग ग्रेडिंग कार्य 66 प्रतिशत पूर्ण।
- मेसर्स बीएचईएल द्वारा मुख्य पॉवर ब्लॉक निर्माण कार्य के लिये डिजाईन इंजीनियरिंग का कार्य, स्ट्रक्चरल स्टील, बॉयलर उपकरण व अन्य सामाग्री की आपूर्ति प्रारंभ की गई।
- मेसर्स बीएचईएल द्वारा इकाई क.–1 के बॉयलर के सिविल फाउन्डेशन हेतु ज़मींन की खुदाई का 28 प्रतिशत कार्य पूर्ण।
- शेष संयंत्रों के लिये मेसर्स एल. एंड टी द्वारा डिजाईन इंजीनियरिंग एवं जियो–टेक्नीकल इन्वेस्टीगेशन का कार्य किया गया तथा स्टक्चरल स्टील की आपूर्ति प्रारंभ की गयी। चिमनी, कूलिंग टॉवर की खुदाई का कार्य प्रारंभ किया गया।
- मेसर्स अग्रवाल एजेंसीज द्वारा प्रारंभिक एवं स्थायी विद्युत आपूर्ति व्यवस्था बावत् सब स्टेशन के निर्माण हेतु कार्य प्रारंभ किया गया।
- रेल ट्रांसपोर्टेशन स्टडी पर सैद्धातिक स्वीकृति प्राप्त की गई।

वर्ष 2010–11 के लक्ष्य

- परियोजना की इकाई क.–1 एवं 2 का लेवलिंग ग्रेडिंग कार्य पूर्ण करने के लक्ष्यानुसार यह कार्य पूर्ण कर लिया गया है एवं फाउन्डेशन का सिविल कार्य पूर्ण किया जाना है।
- मेसर्स बीएचईएल एवं मेसर्स एल. एंड टी., द्वारा मुख्य पॉवर ब्लॉक एवं शेष संयंत्रों के कार्य निर्माण कार्य के लिये डिजाईन इंजीनियरिंग का अधिकांश कार्य एवं अधिक से अधिक उपकरण व अन्य सामाग्री की आपूर्ति की जानी है।
- मेसर्स बीएचईएल द्वारा बायलर एवं ईएसपी इरेक्श्न का कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जाना है ।
- मेसर्स एल.एंड टी. द्वारा शेष संयंत्रों जैसे कि चिमनी, कूलिंग टॉवर, राखड़ बांध, वॉटर सिस्टम, कोयला हस्तांतरण, राखड़ हस्तांतरण, स्विचयार्ड एवं अन्य सिविल कार्य किये जाने है।
- बायलर ड्रम लिफ्टिंग का माइलस्टोन प्राप्त किया जाना है।
- प्रारंभिक एवं स्थायी विद्युत आपूर्ति व्यवस्था का कार्य पूर्ण किया जाना है।
- तृतीय पक्ष से टरबाइन–जनरेटर व सहायक उपकरणों के निरीक्षण का कार्य कराना।
- रेलवे परिवहन प्रणाली का निष्पादन का कार्य प्रारंभ किया जाना है।
- कालोनी निर्माण का प्रांरभिक कार्य पूर्ण किया जाना है।
- प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग का कार्य प्रारंभ किया जाना है।
- उपरोक्त लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु धनराशि रु. 1720 करोड़ की व्यवस्था की गयी।

वर्ष 2010–11 में 15.12.2010 तक की उपलब्धियाँ

परियोजना की इकाई कमांक–1 एवं 2 का लेवलिंग एवं ग्रेडिंग कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इकाई क.–1 के बॉयलर एवं ईएसपी के फाउंडेशन का कार्य पूर्ण किया गया है। इकाई क.–1 के टी. जी.डेक एवं टी.जी. हॉल के फाउंडेशन का कार्य प्रगति पर है। इकाई क.–2 में बॉयलर, ईएसपी के फाउंडेशन का कार्य प्रगति पर है।

- मेसर्स बीएचईएल द्वारा इकाई क.–1 के बॉयलर का लगभग 2250 टन सामग्री का इरेक्शन का कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा इकाई क.–2 में बॉयलर इरेक्शन कार्य में लगभग 60 टन सामग्री का इरेक्शन पूर्ण किया गया।
- इकाई क.–1 ईएसपी के इरेक्शन का कार्य प्रारंभ किया गया।
- स्थायी निर्माण विद्युत आपूर्ति व्यवस्था हेतु 8 नग ट्रांसफारमर चार्ज किये जा चुके हैं जिनके द्वारा बीएचईएल एवं एलएनटी को विद्युत आपूर्ति प्रारंभ कर दी गई है।
- तृतीय पक्ष से टरबाइन जनरेटर व सहायक उपकरणों के निरीक्षण का कार्य कराने हेतु मेसर्स राइट्स को कार्यादेश जारी किया गया एवं आवश्यक्तानुसार मेसर्स राइट्स द्वारा निरीक्षण कार्य जारी है।

- मेसर्स एल.एंड.टी. द्वारा चिमनी, कूलिंग टॉवर, कोयला हस्तांतरण संयंत्र, राखड़ हस्तांतरण संयंत्र, राखड़ बांध, स्विचयार्ड तथा अन्य उप–संयंत्रों के सिविल का कार्य प्रारंभ किया गया ।
- चिमनी की स्लिप फार्म से ढलाई प्रारंभ की गई।
- एनटीपीसी के विशेषज्ञ दल द्वारा साइट पर मॉनीटरिंग कार्य प्रारंभ किया गया है।

2.(ब)श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना चरण–।। (2X600/2X660 मेगावाट) डोंगलिया, जिला–खंडवा

- परियोजना के द्वितीय चरण के निर्माण पूर्व आवश्यक सभी वैधानिक एवं औपचारिक स्वीकृतियाँ व अनापत्तियॉ प्राप्त करने हेतु वॉछित कार्यवाही करने की म.प्र. शासन की प्रषासकीय स्वीकृति प्राप्त है। परियोजना हेतु जल आवंटन व भूमि भी उपलब्ध है।

वर्ष 2009–10 में परियोजना की विशेष उपलब्धियॉं

- कोल लिंकेज हेतु आवेदन, आवश्यक शुल्क के साथ, कोयला मंत्रालय, भारत शासन को दिया गया। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा यह बताया गया कि कोल लिंकेज के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से पर्यावरण अध्ययन की सीमा तय किया जाना आवश्यक है। तदानुसार अग्रिम कार्यवाही के लिए कंसल्टेंट की नियुक्ति हेतु कार्यवाही की जा रही है।

वर्ष 2010–11 में लक्ष्य एवं अद्यतन उपलब्धियॉं

- राज्य शासन द्वारा विद्युत मंत्रालय को कोयला आबंटन के प्रकरण पर शीघ्रता से कार्यवाही करने निवेदन किया है। इस संदर्भ में विद्युत मंत्रालय ने परियोजना के लिए कोयला आवंटन हेतु कोयला मंत्रालय को अनुशंसा की है।
- नियुक्त किये जा रहे कंसल्टेंट से विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करवा कर एवं अन्य आवश्यक कार्य पूर्ण कर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त कर अग्रिम कार्यवाही किया जाना विचाराधीन है।

3. 2X800 मेगावाट बाण सागर ताप विद्युत परियोजना, ग्राम–टिकुराटोला, जिला–शहडोल(म.प्र.)

- मध्य प्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमि. को सुपरक्रिटिकल टेक्नॉलाजी का प्रयोग कर बाणसागर ताप विद्युत परियोजना (2X800 मेगा वाट) की स्थापना करने हेतु प्रशासनिक स्वीकृति राज्य शासन द्वारा प्रदान की गई है।
- बाणसागर परियोजना की फिजिबिलिटी स्टडी हेतु नियुक्त सलाहकार मेसर्स डेज़िन द्वारा फिजिबिलिटी प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। संबंधित विभागों द्वारा समीक्षा की गई।
- चिन्हित स्थल पर परियोजना के पॉवर हाऊस इन्टेक वॉटर कॉरीडोर, रेल लाइन, राखड़ बॉध, कालोनी, सड़कें इत्यादि हेतु, चिन्हित स्थल का सर्वेक्षण कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् संभाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन का अंतिम रुप दिया जाना शेष है।
- भारतीय रेलवे के संस्थान मेसर्स राइट्स द्वारा रेल मार्ग हेतु सर्वेक्षण किया गया तथा विजयसोता स्टेशन के बाद से 'offtake point' लेने हेतु सलाह दी।
- विजयसोता गॉंव से सोन नदी को पार करने हेतु पुल न होने से अद्यतन, परियोजना स्थल जाने हेतु कटनी से शहडोल–ब्यौहारी होते हुए जाना पड़ता है। अगर सोन नदी पर सेतु निर्माण (480 मीटर) होता है तो यह दूरी लगभग 130 कि.मी. कम हो जावेगी। सेतु निर्माण हेतु स्टेज–1 का आंकलन (16.50 करोड़ का) लोक निर्माण विभाग (सेतु), भोपाल को प्रस्तुत किया गया है।
- आवश्यक वैधानिक स्वीकृतियॉं/अनापत्तियॉं प्राप्त करने हेतु कार्यवाही कर कोयला लिकेंज बावत् आवश्यक शुल्क सहित आवेदन कोयला मंत्रालय, भारत शासन को प्रेषित किया गया। तदुपरांत, सी.ई.ए. द्वारा चाही गई जानकारी प्रेषित की गई।

- परियोजना हेतु सोनबेसिन से पानी आवंटित करने के संबंध में भोपाल में सम्पन्न राज्य स्तरीय जल आवंटन समिति की 30वीं बैठक में निर्णय लिया गया, कि बाणसागर जलाशय या उसके उर्ध्व भाग (upstream) से जल आवंटन चाहने वाले उद्योगों/ताप विद्युत गृहों को बाणसागर जलाशय से निकली नहरों के सीमेंट कांक्रीट लाईनिंग कर, उससे बचत हुए पानी का आवंटन किया जाए। इस हेतु कांक्रीट लाइनिंग की लागत जल आवंटन चाहने वाले उद्योगों/ताप विद्युत गृहों द्वारा चाहे गए जल आवंटन के अनुपात में वहन किया जाना प्रस्तावित है। अंतिम निर्णय प्रतीक्षित है।

4. 2X600/2 X 660 मे.वा. संजय गाँधी ताप विद्युत गृह, बिरसिंहपुर, जिला–उमरिया

- इकाई की स्थापना हेतु मेसर्स डेजिन द्वारा प्रस्तुत ड्राफ्ट फीजिबिलिटी प्रतिवेदन का अध्ययन संबंधित विभागों द्वारा किया गया। परियोजना के लिये आवश्यक जल, भूमि एवं रेल/सडक परिवहन से संबंधित विभिन्न मुद्दों एवं राखड बाँध के परिप्रेक्ष्य में, परियोजना हेतु नियुक्त सलाहकार मेसर्स डेजिन के साथ सर्वेक्षण किया गया तथा पॉवर हाउस एव राखड बॉध हेतु स्थल चिन्हित किये गये।
- मेसर्स राइट्स द्वारा रेल यातायात हेतु प्रारंभिक सर्वे कर बिरसिंहपुर स्टेशन से ही offtake लेना उचित बताया।
- उमरिया जिला जल आवंटन समिति द्वारा प्रस्तावित इकाईयों हेतु 0.0190 एम.ए.एफ जल आवंटन की अनुशंसा राज्य शासन के विचारार्थ प्रेषित की गई है। परियोजना हेतु जल की आवश्यकता का आंकलन बिरसिंहपुर में वर्तमान में संचालित इकाईयों को आवंटित जल के उपयोग को दृष्टिगोचर रखते हुए पुनः किया गया जिससे कि यह प्रतीत होता है कि नई इकाईयों हेतु अलग से जल आवंटन की जरुरत नहीं पड़ेगी।

5. 2 X 600 मे.वा./2 X 800 मे.वा. चंदिया ताप विद्युत गृह, जिला–कटनी

- ग्राम चंदिया जिला–उमरिया के पास 2X600 मेगावाट या 2X800 मेगावाट के ताप विद्युत गृहों की स्थापना हेतु प्रस्तावित स्थल पर असिंचित भूमि उपलब्ध है तथा परियोजना में लगने वाले जल की व्यवस्था "छोटी महानदी" नदी पर रिजरवायर बनाकर किया जाना प्रस्तावित है।
- परियोजना स्थापना हेतु प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण कर प्राथमिक स्थल का चयन किया गया एवं इस स्थल का इन हाउस अध्ययन किया गया। विस्तृत अध्ययन हेतु निविदा आमंत्रित की जा रही है।
- दिनांक–28.08.09 को जिला जल उपयोग कमेटी उमरिया की संपन्न बैंठक में लिये गये निर्णय अनुसार परियोजना के लिये आवश्यक जल के आबंटन हेतु अपनी अनुषंसा म.प्र. शासन को भेजी है।
- भोपाल में सम्पन्न राज्य स्तरीय जल आवंटन समिति की 30वीं बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही की जाना है।

6. 2X800 मेगावाट दादा धूनीवाले थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट गोराड़िया, जिला–खण्डवा

- परियोजना की स्थापना के उद्देश्य से मध्य प्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी तथा मेसर्स बीएचईएल की संयुक्त उपक्रम कंपनी का गठन किया गया।
- परियोजना की फिजीबिलिटी स्टडी एवं एआईए स्टडी प्रगति पर है।
- परियोजना के लिये भू–अर्जन की कार्यवाही जारी है ।
- 1.55 टीएमसी जल आवंटन हेतु वॉछित राशि एफ.डी.आर. के रूप में जमा कर दी गई है।
- परियोजना के लिये 7.9 मिलियन टन प्रतिवर्ष कोयले के आवंटन हेतु केन्द्रीय कोल मंत्रालय को आवेदन प्रेषित किया गया तथा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा वांछित जानकारी प्रेषित की गई है।
- परियोजना के लिये पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु टी.ओ.आर प्राप्त।

• परियोजना के लिये भू–अर्जन की कार्यवाही की जा रही है।

(ब) विद्युत परियोजनाओं की स्थापना हेतु प्रदेश में संभाव्यता(जल एवं परमाणु ऊर्जा आधारित)

राज्य में बिजली की बढ़ती हुई मांग तथा मांग एवं आपूर्ति के बीच निरन्तर बढ़ते हुए अन्तर को दृष्टिगत रखते हुए, प्रदेश के सुदूर क्षेत्रों में विभिन्न विद्युत परियोजनाओं की स्थापना हेतु प्रयत्न किया जा रहा है। इस सम्बंध में प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में निम्नांकित विद्युत परियोजनाओं की स्थापना हेतु संभाव्य क्षमता का आंकलन किया गया व इनकी स्थापना हेतु सर्वेक्षण अन्वेशण परियोजना प्रतिवेदन बनाने तथा विभिन्न स्वीकृतियां प्राप्त करने इत्यादि का कार्य प्रगति के विभिन्न चरणों में है।

(1)जल आधारित विद्युत परियोजनाओं हेतु संभाव्यता(POTENTIALITY)

1. कन्हान जलविद्युत परियोजना (90 मेगावाट), जिला–छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र की बहुउद्देश्यीय परियोजना।
2. सोन जलविद्युत परियोजना (100 मेगावाट), जिला–सीधी, बाणसागर बांध के डाउन स्ट्रीम में।
3. चम्बल विकास योजना– द्वितीय चरण (270 मेगावाट), जिला–मंदसौर/ धौलपुर, राजस्थान एवं मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना।
4. गांधीसागर–दो जलविद्युत परियोजना (160 मेगावाट) मन्दसौर जिले में चम्बल नदी पर।

तकनीकी आर्थिक रूप से व्यवहारिकता प्रतिपादित होने पर व आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त होने पर उपरोक्त परियोजनाओं को 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्थापित करने का लक्ष्य है।

(2)परमाणु ऊर्जा आधारित विद्युत परियोजनाओं हेतु संभाव्यता(POTENTIALITY)

केन्द्र शासन द्वारा गठित स्थल निरीक्षण चयन समितियों द्वारा राज्य में परमाणु विद्युत गृह/गृहों के निर्माण हेतु विभिन्न प्रस्तावित स्थलों के निरीक्षण व प्रारंभिक अध्ययन के पश्चात् निम्नलिखित दो स्थलों को प्रारंभिक रूप से उपयुक्त पाया गया।

1– बरगी बांध जलाशय के तट पर ग्राम–चुटका, जिला–मण्डला (1400 मेगावाट).
2– ग्राम राजापुर,जिला–शिवपुरी (2000 मेगावाट)

उक्त स्थलों में से प्रस्तावित बरगी स्थल (चुटका) जिला–मण्डला में 2X700 मे.वा. की परमाणु विद्युत गृह इकाईयों की स्थापना हेतु भारत शासन द्वारा स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। राज्यशासन ने न्यूक्लियर पॉवर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड से समन्वय एवं सहयोग हेतु मध्य प्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमि को नोडल एजेंसी नियुक्त किया है। मध्य प्रदेश पॉवर जंनरेटिंग कंपनी लिमि. द्वारा न्यूक्लियर पॉवर कार्पोरेशन को भूमि अधिग्रहण, सर्वेक्षण तथा अन्य कार्यों हेतु आवश्यक समन्वय एवं सहयोग प्रदान किया जा रहा है।

प्रस्तावित 2X700 मेगावाट की परमाणु विद्युत इकाईयों के विद्युत गृह, आवासीय कॉलोनी एवं अन्य अधोसंरचना कार्यों हेतु स्थल को अंतिम रूप देने हेतु न्यूक्लियर पॉवर कार्पोरेशन तकनीकी विशेषज्ञों के दल द्वारा स्थल का निरीक्षण किया जा चुका है।

न्यूक्लियर पॉवर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा निर्धारित क्षेत्र में परियोजना हेतु भूमि के अंतिम रूप से चयन हेतु टोपोग्राफिक सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ किया जा चुका है। ग्रामवासियों के विरोध के कारण 6 ग्रामों में से ग्राम पाठा, सिंगौधा तथा देहरा एवं इनसे लगे बरगी जलाशय के डूब क्षेत्र एवं वन क्षेत्र में टोपोग्राफिक सर्वेक्षण का ही कार्य पूर्ण किया जा सका है। शेष क्षेत्र का सर्वेक्षण कार्य भूमि अधिग्रहण की प्रारंभिक प्रकिया प्रारंभ होने के पश्चात् राजस्व विभाग व ग्रामवासियों से अनापत्ति प्राप्त होने पर किया जावेगा। भूमि अधिग्रहण के सम्बंध में आगे कार्यवाही न्यूक्लियर पॉवर कार्पोरेशन द्वारा इस हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के उपरांत राजस्व विभाग, जिला प्रशासन, मण्डला द्वारा

की जावेगी। सर्वेक्षण के अतिरिक्त, अन्य तकनीकी अध्ययनों व अन्वेशण इत्यादि हेतु समानान्तर रूप से कार्यवाही की जा रही है।

(ii) म.प्र.पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड की प्रमुख उपलब्धियाँ

(1) अति उच्चदाब पारेषण लाइनें एवं उपकेन्द्र : वर्ष 2009–10 में म.प्र.पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के पारेषण कार्यों हेतु 451.00 करोड रु. का योजना परिव्यय स्वीकृत किया गया था। वर्ष 2009–10 में पारेषण कार्यों हेतु 551.00 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान था, जिसके विरूद्ध वर्ष 2009–10 के दौरान 2631.09 करोड़ रुपये (प्रावधिक) व्यय किया गया, जिसमें योजना मद में 1444.37 करोड रुपये तथा अन्य स्त्रोतों से 1186.72 करोड़ रुपये सम्मिलित हैं। वर्ष 2009–10 में 1512 सर्किट किलोमीटर पारेषण लाइनों के निर्माण तथा कुल 2964 एमवीए क्षमता के अति उच्चदाब उपकेन्द्रों की क्षमता वृद्वि का कार्यक्रम था, जिसकी तुलना में 1662 सर्किट किलोमीटर पारेषण लाइनों का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया तथा अति उच्चदाब उपकेन्द्रों की क्षमता में 2992 एमवीए की वृद्वि की गई। इस प्रकार 31 मार्च 2010 तक अति उच्चदाब लाइनों की कुल लम्बाई 24622.17 सर्किट किलोमीटर एवं अति उच्चदाब उपकेन्द्रों की कुल क्षमता 32039.5 एमवीए हो चुकी थी।

वर्ष 2010–11 में मध्य प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के पारेषण कार्यों हेतु 275.00 करोड़ रुपये का योजना परिव्यय स्वीकृत किया गया है। जिसके विरूद्ध सितम्बर 10 तक 245.93 करोड़ रु. का व्यय (प्रावधिक) किया गया है। जिसमें योजना मद से 145.46 करोड़ रुपये, अन्य स्त्रोतों से 100.47 करोड़ रुपये सम्मिलित हैं। वर्ष 2010–11 में 1938 सर्किट किलोमीटर पारेषण लाइनों का निर्माण करने तथा अति उच्चदाब उपकेन्द्रों की क्षमता में 2033 एमवीए की वृद्वि का कार्यक्रम है, जिसमें से सितम्बर 2010 तक 708.33 सर्किट किलोमीटर पारेषण लाइनों का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया तथा अति उच्चदाब उपकेन्द्रों की क्षमता में 1078 एमवीए की वृद्वि की गई, जिससे माह सितम्बर 2010 के अंत तक अति उच्चदाब लाइनों की कुल लम्बाई बढ़कर 25330.50 सर्किट किलोमीटर हो गई है एवं इसी अवधि में कुल 238 अति उच्चदाब उपकेन्द्रों की कुल क्षमता 33117.5 एमवीए हो गई।

(2)ऊर्जा वित्त निगम (पी.एफ.सी.) से वित्तीय सहायता

ऊर्जा वित्त निगम (पी.एफ.सी.) से 31 मार्च 2010 की स्थिति में जारी ऋणों की कुल स्वीकृत राशि रु. 1080.74 करोड़ है, जिसमें कुल आहरित राशि रु. 765.46 करोड़ है तथा 31.03.10 तक कुल रु. 350.01 करोड़ का मूलधन पुर्नभुगतान कर दिया गया है। इस प्रकार कंपनी के वित्तीय वर्ष 2009–10 के अंकेक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार ऊर्जा वित्त निगम (पी.एफ.सी.) के ऋणों की 31 मार्च 2010 की स्थिति में कुल शेष बकाया राशि रु. 415.45 करोड है।

(iii)म.प्र. पॉवर ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर की प्रमुख उपलब्धियाँ

मध्य प्रदेश पॉवर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड में वर्ष 2010–11 में दिनांक 30.09.2010 की स्थिति में प्राप्त किये गये लक्ष्यों का विवरण निम्नानुसार है :–

महेश्वर जल विद्युत परियोजना (10X40मेगावाट)

दिसंबर 2006 में स्थापित महेश्वर जल विद्युत परियोजना हेतु पी.एफ.सी. नई दिल्ली को अमेंडेटरी एण्ड रीस्टेटेड अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार काउंटर गारंटी दी जा चुकी है। बी.एच.ई.एल. को श्री महेश्वर हायडल परियोजना हेतु विद्युत संयंत्र प्रदाय करने संबंधी आदेश दिये जा चुके हैं। परियोजना के बांध से संबधित कार्य को वर्तमान में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा रोका गया है।

क्र.	कंपनी का नाम	31.3.2010 की स्थिति में	31.10.2010 की स्थिति में
1	म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी	200	202
2	म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी	240	248
3	म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी	80	84
	कुल	520	534

कृषको को कृषि हेतु नवीन पंप कनेक्शन प्रदान करने की योजनान्तर्गत तीनों वितरण कंपनियों द्वारा 31 मार्च, 2010 तक 7159 एवं वर्ष 2010–11 में दिनांक 31.10.2010 की स्थिति में कुल 13263 पंप कनेक्शनों का ऊर्जीकरण किया गया है। कंपनीवार जानकारी निम्नानुसार है :–

क्र.	कंपनी का नाम	31.3.2010 की स्थिति में	31.10.2010 की स्थिति में
1	म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी	2526	3259
2	म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी	2711	6453
3	म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी	1922	3551
	कुल	7159	13263

वितरण वृत्तों में उप पारेषण एवं वितरण प्रणाली के उन्नयन हेतु, प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना, आदिवासी उप योजना, अनुसूचित जाति उप योजना, जे.बी.आई.सी योजना, ए.डी.बी., राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना एवं आर.–ए.पी.डी.आर.पी.योजना आदि के तहत तीनो वितरण कंपनियों द्वारा किए गये विभिन्न कार्यों का विवरण निम्नानुसार है–

(अ) मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कपनी लिमिटेड–

1.प्रणाली सुदृढीकरण– प्रणाली सुदृढीकरण योजना के तहत वर्ष 2009–10 में 33/11 के.व्ही नवीन उपकेन्द्र–4, अतिरिक्त पावर ट्रांसफार्मर की स्थापना–13, पावर ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि–11, 33 के.व्ही लाईन–101.40 किमी., 11 के.व्ही लाईन–101.98 किमी., निम्न दाब लाईन–2.5 किमी. तथा वितरण ट्रांसफार्मर–37 लगाये गये है जिनकी कुल लागत रू. 30.53 करोड हैं।इसी प्रकार वर्ष 2010–11 में माह सितम्बर 2010 तक 33/11 के.व्ही नवीन उपकेन्द्र–8, अतिरिक्त पावर ट्रांसफार्मर की स्थापना–2,पावर ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि–13, 33 के.व्ही लाईन–47.95 किमी., 11 के.व्ही लाईन–122.78 किमी., निम्न दाब लाईन–6.0 किमी. तथा वितरण ट्रांसफार्मर–179 लगाये गये है जिनकी कुल लागत रू. 35.96 करोड हैं।

2.आदिवासी उप योजना–इस योजना के तहत वर्ष 2009–10 में 33/11 के.व्ही के नवीन उपकेन्द्र–8, अतिरिक्त पावर ट्रांसफार्मर की स्थापना–2, पावर ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि–20, 33 के.व्ही लाईन–105.40 किमी., 11 के.व्ही लाईन–74.12 किमी, निम्न दाब लाईन–0.18 किमी. तथा वितरण ट्रांसफार्मर–64 लगाये गये है जिनकी कुल लागत रू. 22.00 करोड हैं। वर्ष 2010–11 में 33/11 के.व्ही के नवीन उपकेन्द्र–7, अतिरिक्त पावर ट्रांसफार्मर की स्थापना–1, पावर ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि–2, 33 के.व्ही लाईन–144.15 किमी., 11 के.व्ही लाईन–24.72 किमी., निम्न दाब लाईन–2.00 किमी. के कार्य किये गये जिनकी कुल लागत रू. 28.69 करोड हैं।

3.अनुसूचित जाति उप योजना– इस योजना के तहत वर्ष 2009–10 में 33/11 के.व्ही नवीन उपकेन्द्र–5, अतिरिक्त पावर ट्रांसफार्मर की स्थापना–10, पावर ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि–25, 33 के.व्ही लाईन–48.50 किमी., 11 के.व्ही लाईन–85.77 किमी., निम्न दाब लाईन–0.82 किमी. तथा वितरण ट्रांसफार्मर–51 लगाये गये है जिनकी कुल लागत रू. 28.59 करोड हैं।वर्ष 2010–11 में माह सितम्बर 2010 तक 33/11 के.व्ही नवीन उपकेन्द्र–6, अतिरिक्त पावर ट्रांसफार्मर की स्थापना–1,पावर ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि–10, 33 के.व्ही लाईन–77.50 किमी., 11 के.व्ही लाईन–49.43 किमी., तथा नये वितरण ट्रांसफार्मर–11 लगाये गये है जिनकी कुल लागत रू. 10.49 करोड हैं।

4.नवीन कृषि पंप योजना–इस योजना के तहत वर्ष 2009–10 में 11 के.व्ही लाईन–215.62 किमी., निम्नदाब लाईन–175.42 किमी. तथा वितरण ट्रांसफार्मर–972 लगा कर 2711 कृषकों को पंप कनेक्शन प्रदाय किये गये है वर्ष के दौरान कुल रू. 20.94 करोड व्यय किये गये हैं।वर्ष 2010–11 में माह

सितम्बर 2010 में 11 के.व्ही लाईन–290.33 किमी., निम्न दाब लाईन–202.96 किमी. तथा वितरण ट्रांसफार्मर–1225 लगा कर 3466 कृषकों को पंप कनेक्शन प्रदाय किये गये वर्ष के दौरान कुल रू. 30.51 करोड व्यय किये गये हैं।

5.जे.बी.आई.सी.–इस योजना के तहत वर्ष 2009–10 में 33/11 के.व्ही नवीन उपकेन्द्र–30, अतिरिक्त पावर ट्रांसफार्मर की स्थापना–3, 33 के.व्ही लाईन–304.43 किमी., 11 के.व्ही लाईन–155.39 किमी., कार्य किये गये है जिनकी कुल लागत रू. 22.16 करोड हैं।

6.ए.डी.बी.–इस योजना के तहत वर्ष 2009–10 में निम्न दाब लाईन को उच्च दाब लाईन में बदलने का कार्य–54.67 किमी.,वितरण ट्रांसफार्मर की स्थापना–2200, वितरण ट्रांसफार्मर पर मीटर की स्थापना–1943, तथा केपेसीटर बैंक की स्थापना– 458 के कार्य किये गये है जिनकी कुल लागत रू. 86.05 करोड हैं।वर्ष 2010–11 में निम्न दाब लाईन को उच्च दाब लाईन में बदलने का कार्य–28.32 किमी.,वितरण ट्रांसफार्मर की स्थापना–830, वितरण ट्रांसफार्मर पर मीटर की स्थापना–830 के कार्य किये गये है जिनकी कुल लागत रू. 86.05 करोड हैं।

7.आर–एपीडीआरपी पार्ट "अ" एवं "ब" योजना–

(अ) आर–एपीडीआरपी पार्ट अ–योजना का मुख्य उद्देश्य इन्फारमेशन एवं टेक्नोलाजी के माध्यम से विद्युत संचालन एवं वितरण व्यवस्था का उन्नयन एवं सुदृढीकरण है। योजना म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. के अंतर्गत 32 शहरों के लिये है। योजना की कुल लागत 92.04 करोड है। योजनांतर्गत वर्ष 2010–11 (दिसम्बर, 2010 तक) रु.8.10 करोड का कार्य किया जा चुका है।

(ब) आर–एपीडीआरपी पार्ट ब–योजनान्तर्गत 31 शहरों के लिये रु.834 करोड की लागत से तकनीकी एवं वाणिज्य हानि, कम करने एवं उपभोक्ता को बेहतर सुविधा प्रदान करने संबधी सुधार कार्य किये जाने प्रस्तावित है।

8.सामान्य योजना (एन.डी.)– मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कपनी लिमिटेड द्वारा सामान्य योजना अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यो की जानकारी प्रपत्र 6(अ) में दर्शायी गई है।

(ब)मध्य प्रदेष पष्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कपनी लिमिटेड

आदिवासी योजना, अनुसूचित जाति उप योजना एवं अन्य जमा योजना का कियान्वयन, कृषि पंपो का उर्जीकरण /पंप जिनके लिये लाइन बिछाई गई, मजरा टोलों/दलित बस्तियों का विद्युतीकरण एवं एक बत्ती कनेक्शन/कुटीर ज्योति योजना के कार्य किये गये है।

1.त्वरित उर्जा विकास एवं सुधार कार्यकम (एपीडीआरपी) योजना– त्वरित उर्जा विकास एवं सुधार कार्यकम (एपीडीआरपी) योजना के अंतर्गत 3 वृत्त/10 शहर, के लिये राषि 341.47 करोड स्वीकृत हुई थी। योजना वर्ष 2001– 02 के आखिरी से 2005 तक विभिन्न चरणों मे स्वीकृत हुई। योजनांतर्गत जनवरी 2009 तक 219.72 करोड का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। योजनांतर्गत कार्य समाप्त होकर निर्देशानुसार कार्यपूर्णता प्रतिवेदन दिनांक 24.02.09 को एनटीपीसी के माध्यम से प्रेषित।

2.एडीबी– वितरण प्रणाली के उन्नयन हेतु एशियन विकास बैंक द्वारा सहायता प्राप्त योजना वर्ष 2001 में स्वीकृत हुई थी। कुल लागत 266.95 करोड थी। यह योजना 5 वृत्त के लिये एवं उज्जैन एवं मंदसौर जिले मे एलटी लेस योजना के कार्य के लिये स्वीकृत हुई थी। योजना के अंतर्गत 251.23 करोड का कार्य संपन्न हुआ। योजनांतर्गत कार्य समाप्त होकर कार्यपूर्णता प्रतिवेदन एडीबी से प्राप्त।

3.एडीबी– द्वितीय (ट्रेंच –4 एवं 5)– ट्रेंच 4 योजना वर्ष 2007 में स्वीकृत हुई।योजना की कुल लागत 283.22 करोड है। योजना अंतर्गत इन्दौर उज्जैन क्षेत्र में नवीन उपकेन्द्रों की स्थापना वर्तमान मे स्थित उपकेन्द्रों की क्षमतावद्धि के साथ–साथ उनका रिनोवेशन एवं आधुनिकीकरण के कार्य प्रावधानित है साथ ही खण्डवा एवं बुरहानपुर में एलवीडीएस से एचवीडीएस के कार्य एवं कंपनी क्षेत्र मे सेपरेशन ऑफ एग्रीकल्चर लोड एवं प्रणाली सुद्रढीकरण के कार्य किये जाने है। एडीबी– द्वितीय (ट्रेंच –5) योजना मे नवीन विद्युत उपकेन्द्रो की स्थापना, नई 33 केव्ही लाईन निर्माण एवं फीडर विभक्तिकरण के

कार्य किये जाने है। योजना की कुल लागत 299.69 करोड है। वर्ष 2009– 10 तक ट्रेंच 4 मे 22.57 करोड एवं ट्रेंच 5 मे 11.95 करोड एव वर्ष 2010–11 (सितम्बर 10) तक ट्रेंच –4 एवं 5 मे 60.36 करोड के कार्य पूर्ण किये गये ।

4.आर–एपीडीआरपी पार्ट "अ" एवं "ब" योजना–

(अ)आर–एपीडीआरपी पार्ट 'अ' – आर–एपीडीआरपी पार्ट 'अ' के अन्तर्गत म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. के 24 शहरों के लिये रु.49.55 करोड लागत की योजना स्वीकृत है। योजनातर्गत वर्ष 2010–11(दिसम्बर,2010 तक) रु. 21.37 करोड का कार्य किया जा चुका है।

(ब)आर–एपीडीआरपी पार्ट 'ब' –योजनान्तर्गत रु.481.8 करोड की लागत से तकनीकी एवं वाणिज्य हानि, कम करने एवं उपभोक्ता को बेहतर सुविधा प्रदान करने संबधी सुधार कार्य किये जाने प्रस्तावित है।

5.सामान्य विकास योजना – सामान्य विकास योजना एवं ग्रामीण विद्युतीकरण के अन्तर्गत किये गये कार्यो की जानकारी प्रपत्र 6(ब) में दर्शाई गई है।

(स)मध्य प्रदेष पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कपनी लिमिटेड

1.सामान्य विकास योजना एवं ग्रामीण विद्युतीकरण – आदिवासी उपयोजना, अनुसूचित जाति उपयोजना, एम.पी./एम.एल.ए. एवं अन्य मद के अंतर्गत किये गये हैं। वर्ष 2009–10 में रु. 127.82 करोड व्यय कर 11 के.व्ही. 822.780 कि.मी., निम्नदाब लाईन 532.60 कि.मी., वितरण ट्रांसफार्मर, 16 के.व्ही.ए. के 159 नग एवं 25 के.व्ही.ए. के 1156 नग के कार्य पूर्ण किये गये हैं। इसी तरह वर्ष 2010–11 में दिनांक 30.9.10 तक, 11 के.व्ही. लाईन 626.52 कि.मी., निम्नदाब लाईन 496.33 कि.मी., वितरण ट्रांसफार्मर 16 के.व्ही.ए. के 56 नग एवं 25 के.व्ही.ए. के 696 नग के कार्य पूर्ण किए गए हैं जिसकी लागत राशि रु. 59.28 करोड है। सामान्य विकास योजना के अन्तर्गत किये गये कार्यो की जानकारी प्रपत्र 6(स) में दर्शाई गई है।

2.आर–एपीडीआरपी – वितरण वृत्तों में उप पारेषण एवं वितरण प्रणाली के उन्नयन हेतु अंतर्गत आर–एपीडीआरपी कार्यक्रम लागू किया गया है । इस कार्यक्रम के कियान्वयन हेतु पावर फाइनेंस कार्पोरेशन को नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है । इस कार्यक्रम का मुख्य उद्वेश्य AT&C हानियों को कम करते हुए 15 प्रतिशत तक लाना है । इस हेतु 27 शहरों को जिनकी जनसंख्या 30 हजार से ज्यादा है (1991 की जनगणना के अनुसार) चुना गया है ।

(अ)आर–एपीडीआरपी पार्ट अ – इसमें सूचना प्रौद्योगिक की मदद से बेस लाइन डाटा को स्थापित करना एवं इनर्जी अकाउंटिंग , कन्ज्यूमर इन्डेक्सिंग, जी.आई.एस.मेपिंग आदि के द्वारा उपभोक्ता को बेहतर सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से कंपनी ने मेसर्स टी.सी.एस. को अनुबंधित किया है । योजनान्तर्गत जबलपुर में एक डाटा सेंटर बनाया जा रहा है जो कि तीनों वितरण कंपनियों के डाटा संकलन के लिए कार्य करेगा। इस परियोजना की लागत रू 87.31 करोड रू. है । योजनान्तर्गत दिसंबर, 2010 तक रू. 11.31 करोड़ की राशि व्यय की जा चुकी है।

(ब)आर–एपीडीआरपी पार्ट ब – इसके माध्यम से 26 शहरों में विद्युत वितरण प्रणाली का उन्नयन किया जाना प्रस्तावित है । पार्ट बी के कार्यो के कियान्वयन हेतु निविदाएं आमंत्रित की गई है । इस परियोजना की लागत रू. 653 करोड है ।

3.एशियन विकास बैंक (एडीबी) – ए.डी.बी. योजना के अंतर्गत जिलों में एच.व्ही.डी.एस. फीडरों के विभक्तिकरण एवं विद्यमान उपकेन्द्रों में नवीनीकरण किये जाने हेतु तीन भागों में ए.डी.बी. की स्वीकृति वर्ष 2007–08 में प्राप्त हुई हैं। प्रथम भाग में गाडरवारा संभाग (नरसिंहपुर जिला), पाटन संभाग (जबलपुर जिला), सतना संभाग (सतना जिला) पृथ्वीपुर संभाग (टीकमगढ़ जिला), दमोह दक्षिण संभाग (दमोह जिला) एवं रीवा (संचा–संधा) संभाग (रीवा जिले) में एच.व्ही.डी.एस. तथा कंपनी क्षेत्रान्तर्गत निम्नदाब के 10 एच.पी. से अधिक भार वाले उपभोक्ताओं की रिमोट मीटरिंग कार्य हेतु रु. 294.31

करोड़, है। द्वितीय भाग में सागर जिला के अंतर्गत रहली संभाग एव सागर सचा–संधा के अंतर्गत 11 के.व्ही. फीडर विभक्तिकरण एवं जबलपुर सागर तथा सतना जिला मुख्यालय के चुने हेतु पोटेन्शियल फीडरों के अंतर्गत स्थापित वितरण परिणामित्रों पर डिस्ट्रीब्यूशन लॉस 6 प्रतिशत लाये जाने हेतु तथा कंपनी क्षेत्रांर्गत पुराने 207 न. 33/11 के.व्ही. सब स्टेशन के नवीनीकरण हेतु रु 142.36 करोड़ (ए.डी.बी. +काउंटर पार्ट) एवं तृतीय भाग में सागर के बण्डा एवं बीना संभाग के अतर्गत 11 के.व्ही. फीडर विभक्तिकरण एवं नरसिंहपुर (नरसिंहपुर जिला), जबलपुर (संचा–सधा) संभाग, सिहोरा संचा. –संधा. संभाग (जिला जबलपुर), टीकमगढ़ संभाग (जिला टीकमगढ) दमोह उत्तर संभाग (जिला दमोह), रीवा उत्तर–दक्षिण संभाग (जिला रीवा) एवं मैहर संभाग (जिला सतना) में एच.व्ही.डी.एस. कार्य हेतु रू. 368.84 करोड़ (ए.डी.बी.+काउटर पार्ट) की स्वीकृति प्राप्त हुई है जिसमें से वर्ष 2008–09 में रू. 36.00 करोड (ए.डी.बी.+काउंटर पार्ट), वर्ष 2009–10 में रू 110.91 करोड़ एत वर्ष 2010–11 में सितंबर 10 तक रु. 42.95 करोड के कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं।

अध्याय – 3
प्रमुख सांख्यिकी

प्रपत्र–1

म.प्र.राज्य विद्युत मंडल / उत्तरवर्ती कंपनियां
कंपनीवार क्षेत्रवार वितरण केन्द्रों की संख्या (दिसंबर,2011 की स्थिति)
(मध्यप्रदेश – 1112 वितरण केन्द्र)

मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमि.			381
I जबलपुर क्षेत्र	178	**II सागर क्षेत्र**	100
1 जबलपुर (सिटी) वृत्त	8	8. सागर वृत्त	34
i जबलपुर (सिटी दक्षिण)	5	i सागर (सिटी)	1
ii जबलपुर (सिटी उत्तर)	3	ii सागर (ओ.एण्ड एम)	11
iii जबलपुर (सिटी पूर्व)		iii रहली	8
iv जबलपुर (सिटी पश्चिम)		iv बीना	9
v जबलपुर विजय नगर		v बंडा	5
2. जबलपुर वृत्त	20	9. दमोह वृत्त	18
i जबलपुर (ओ.एण्ड एम.)	8	i दमोह (उत्तर)	9
ii सिहोरा	5	ii दमोह (दक्षिण)	9
iii पाटन	7		
		10. छतरपुर वृत्त	33
3. कटनी वृत्त	14	i छतरपुर	13
i कटनी (सिटी)	4	ii पन्ना	9
ii कटनी (ओ.एण्ड एम.)	10	iii खजुराहो	11
4. मण्डला वृत्त	22	11. टीकमगढ़ वृत्त	15
i मण्डला	7	i टीकमगढ़	10
ii मण्डला– II	8	ii पृथ्वीपुर	5
iii डिण्डोरी	7		
		III रीवा क्षेत्र	103
5. सिवनी वृत्त	42		
i सिवनी	13	12. रीवा वृत्त	21
ii लखनादौन	8	i रीवा (सिटी)	2
iii बालाघाट	7	ii रीवा (उत्तर)	8
iv बैहर	3	iii रीवा (दक्षिण)	7
v वारासिवनी	11	iv रीवा (ओ.एण्ड एम)	4
6. नरसिंहपुर वृत्त	21	13. सतना वृत्त	33
i नरसिंहपुर	13	i सतना (सिटी)	5
ii गाडरवारा	8	ii सतना (ओ.एंण्ड एम.)	12
		iii मैहर	16
7. छिंदवाड़ा वृत्त	51		
i छिंदवाड़ा (सिटी)	2	14. सीधी वृत्त	24
ii छिंदवाड़ा (पूर्व)	11	i सीधी	18
iii जुन्नारदेव	6	ii वैढन	6
iv पाण्ढुर्ना	8		
v अमरवाड़ा	9	15. शहडोल वृत्त	25
vi सौंसर	10	i शहडोल	7
vii परासिया	5	ii अनूपपुर	10
		iiiउमरिया	8

मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमी.			336
I भोपाल क्षेत्र	180	II ग्वालियर क्षेत्र	156
16. भोपाल (सिटी) वृत्त	22	23. ग्वालियर (सिटी) वृत्त	15
i भोपाल (सिटी पूर्व)	5	i ग्वालियर (सिटी उत्तर)	4
ii. भोपाल (सिटी उत्तर)	7	ii ग्वालियर (सिटी दक्षिण)	3
iii भोपाल (सिटी दक्षिण)	6	ii ग्वालियर (सिटी पूर्व)	4
iv भोपाल (सिटी पश्चिम)	4	ii ग्वालियर (केन्द्रीय संभाग)	4
17. भोपाल वृत्त	35	24 मालनपुर (औद्योगिक क्षेत्र)	1
i भोपाल (ओ.एण्ड एम.)	11	i मालनपुर	1
ii मंडीदीप (औद्योगिक क्षेत्र)	1		
iii रायसेन	8	25. ग्वालियर वृत्त	29
iv बरेली	6	i ग्वालियर (ओ.एंड एम.)	8
v नसरुल्लागंज	3	ii दतिया	12
vi औबेदुल्लागज	6	iii डबरा	9
18. विदिशा वृत्त	13	26. गुना वृत्त	29
i विदिशा	6	i गुना (उत्तर)	10
ii गंजबासौदा	7	ii राघोगढ	8
		iii अशोकनगर	7
19. सीहोर वृत्त	23	iv मुंगावली	4
i सीहोर	14		
ii आष्टा	9	27. शिवपुरी वृत्त	23
		i शिवपुरी – I	7
20. राजगढ़ (ब्यावरा) वृत्त	24	ii शिवपुरी – II	10
i राजगढ़	9	iii पिछोर	6
ii नरसिंहगढ	8		
iii ब्यावरा	7	28. मुरैना वृत्त	25
		i मुरैना – I	10
21. होशंगाबाद वृत्त	34	ii मुरैना – II	6
i होशंगाबाद	7	iii सबलगढ़	9
ii इटारसी	6	iv अम्बाह	–
iii हरदा	10		
iv पिपरिया	11	29. भिण्ड वृत्त	20
		i भिण्ड	6
22. बैतूल वृत्त	29	ii मेहगांव	4
i बैतूल (उत्तर)	9	iii लहार	6
ii बैतूल (दक्षिण)	10	iv गोहद	4
iii मुलताई	10		
		30श्योपुर वृत्त	14
		i श्योपुर (उत्तर)	10
		ii श्योपुर (दक्षिण)	4

मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कपंनी लिमी.			395
I इन्दौर क्षेत्र	206	II उज्जैन क्षेत्र	189
29. इन्दौर (सिटी) वृत्त	24	37. उज्जैन वृत्त	36
i इन्दौर (सिटी पूर्व)	6	i उज्जैन (सिटी पूर्व)	1
ii इन्दौर (सिटी पश्चिम)	4	ii उज्जैन (सिटी पश्चिम)	1
iii इन्दौर (सिटी दक्षिण)	4	ii उज्जैन (ओ. एंड एम.)	7
iv इन्दौर (सिटी उत्तर)	5	iii नागदा	7
v इन्दौर (सिटी मध्य)	5	iv बड़नगर	9
		v तराना	7
30. इन्दौर वृत्त	36	vi महिदपुर	4
i इन्दौर (ओ.एंड एम.)	11		
ii महू	13	38. रतलाम वृत्त	27
iii देपालपुर	8	i रतलाम (सिटी)	1
iv पीथमपुर	4	ii रतलाम (ओ.एंड एम.)	11
		iii आलौट (जावरा पूर्व)	6
31. खण्डवा वृत्त	16	iv जावरा	9
i खण्डवा (सिटी)	1		
ii खण्डवा – I	5	39. मंदसौर वृत्त	40
iii खण्डवा – II	10	i मंदसौर	11
		ii मल्हारगढ़	9
32 बुरहानपुर वृत्त	15	iii गरौठ	12
iबुरहानपुर (सिटी)	1	iv सीतामऊ	8
iiबुरहानपुर (ओ.एंड एम.)	14		
		40. नीमच वृत्त	25
33. खरगौन वृत्त	43	i नीमच	7
i खरगौन – I	10	ii जावद	9
ii खरगौन – II	8	iiiमनासा	9
iii बड़वाह	10		
iv मण्डलेश्वर	15	41. देवास वृत्त	30
		i देवास (सिटी)	1
34. बड़वानी वृत्त	18	ii देवास (ओ.एंड एम.)	8
i बड़वानी	9	iii सोनकच्छ	7
ii सैंधवा	9	iv कन्नौद	6
		v बागली	8
35. धार वृत्त	34		
i धार	15	42. शाजापुर वृत्त	31
ii मनावर	6	i मोमन बड़ोदिया	3
iii राजगढ	13	ii शाजापुर	8
		iii आगर	9
36. झाबुआ वृत्त	20	iv शुजालपुर	11
i झाबुआ	13		
ii अलीराजपुर	7		

प्रपत्र–2

म.प्र.राज्य विद्युत मंडल/उत्तरवर्ती कंपनियां
राजस्व लेखे

(रुपये करोड़ में)

क्र.	मद	वर्ष 2008–09	वर्ष 2009–10
1.	राजस्व आय		
	विद्युत विक्रय/पारेषण	745.90	1091.00
	राजस्व सहायिकी (सब्सिडी)	–	–
	अन्य आय	21.07	8.53
	पिछले वर्ष का समायोजन	95.86	–
	उप–योग (1)	862.83	1099.53
2.	राजस्व व्यय		
	विद्युत क्रय	लागू नहीं	लागू नही
	विद्युत उत्पादन	लागू नहीं	लागू नही
	मरम्मत एवं अनुरक्षण	21.89	18.84
	कर्मचारी व्यय	485.10	717.18
	प्रशासन व साधारण व्यय	21.51	27.45
	अवक्षयण व संबंधित कटौतियां	194.74	216.63
	ब्याज एवं वित्त पोषण प्रभार	169.49	164.93
	उप–योग (2)	892.73	1145.03
3.	घटायें : पूंजीगत व्यय		
	(i) पूंजीकृत ब्याज एवं वित्त पोषण प्रभार	15.14	25.99
	(ii) अन्य व्यय		
	(अ) मरम्मत एवं अनुरक्षण	0.30	0.31
	(ब) कर्मचारी लागत	7.23	9.41
	(स) प्रशासन व साधारण व्यय	1.96	2.98
	(द) परीक्षण काल में उत्पादन लागत	–	–
	उप–योग (3)	24.64	38.69
4.	उप–योग (2–3)	868.09	1106.35
5.	अन्य कटौतियां	–	–
6.	कर देने से पूर्व लाभ/हानि (4+5–1)	(5.26)	(6.81)
7.	आयकर के लिये प्रावधान	(0.59)	88.83
8.	कर देने के बाद लाभ/हानि (6–7)	(4.67)	(95.65)
9.	शुद्ध पूर्ववर्ती आय/प्रभार	0.00	0.00
10.	कुल व्यय (4+5+7–9)	867.50	1195.18
11.	कुल आय में व्यय का प्रतिशत (10/1)	100.54%	108.70%
12.	शुद्ध अधिशेष (8+9)	(4.67)	(95.65)
13.	वर्ष के आरंभ में सेवारत शुद्ध आस्तियों का मूल्य (कैपिटल बैस)	1893.55	2076.94
14.	प्रत्यावर्तन की दर (%) (12/13)	(–) 0.25%	(–) 4.61%

म.प्र.राज्य विद्युत मंडल/उत्तरवर्ती कंपनियों की वार्षिक योजना वर्ष 2009–10 एवं 2010–11 के परियोजनावार स्वीकृत परिव्यय व प्रावधिक व्यय

वार्षिक योजना 2009–10 के योजनावार स्वीकृत परिव्यय एवं व्यय (प्रावधिक)

(लाख रुपये में)

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	वर्ष 2009–10		
		स्वीकृत परिव्यय	बजट प्रावधान	योजना व्यय (प्रावधिक)
1.	2.	3	4	5
I	उत्पादन परियोजनाएँ			
अ	निर्माणाधीन विद्युत उत्पादन परियोजनाएँ			
1	संजय गाँधी ताप विद्युत परियोजना बिरसिंहपुर विस्तार (1X500 मेगावाट)	0	0	232
2	अमरकंटक ताप विद्युत परियोजना विस्तार (1X210 मेगावाट)	1	1	4129
3	श्री सिंगाजी (मालवा) ताप विद्युत परियोजना (2X600 मेगावाट)	5600	5600	14901
4	सारणी ताप विद्युत परियोजना विस्तार (2X250 मेगावाट)	6900	6900	5931
ब	ताप विद्युत गृहों का नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण	999	999	630
स	सर्वेक्षण एवं अनुसंधान	1	1	1
	उप–योग उत्पादन (अबस)	13501	13501	25824
II	पारेषण	45100	55100	59276
III	उप–पारेषण एवं वितरण	68444	52878	55742
	योग (म.प्र.राज्य विद्युत मंडल की योजनायें)	127045	121479	140842
IV	अन्य योजनायें			
	अ. राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना	0	3500	2207
	ब. डी.एफ.आइ.डी.	2000	2000	1388
	कुल योग (म.प्र.राज्य विद्युत मंडल)	129045	126979	144437

टीप:–उपरोक्त व्यय के अतिरिक्त वर्ष 2009–10 अन्य वित्तीय सस्थाओं, यथा ऊर्जा वित्त निगम, हुडको, आर.ई.सी. इत्यादि के ऋण से कुल 1186.72 करोड़ रुपये का व्यय भी किया गया है। इस प्रकार वर्ष 2009–10 में कुल 2631.09 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है।

प्रपत्र–3(B)

वार्षिक योजना 2010–11 के योजनावार स्वीकृत परिव्यय एवं व्यय (प्राविधिक)

(लाख रुपये में)

क्र.	योजना / कार्यक्रम का नाम	वर्ष 2010–11		
		स्वीकृत परिव्यय	बजट प्रावधान	योजना व्यय (सितम्बर 10 तक) (प्राविधिक)
1.	2.	3.	4	5.
I	उत्पादन परियोजनाएँ			
अ	निर्माणाधीन विद्युत उत्पादन परियोजनाएँ			
1	संजय गाँधी ताप विद्युत परियोजना बिरसिंहपुर विस्तार (1X500 मेगावाट)	0	0	331
2	अमरकंटक ताप विद्युत परियोजना विस्तार (1X210 मेगावाट)	0	0	1650
3	श्री सिंगाजी (मालवा) ताप विद्युत परियोजना (2X600 मेगावाट)	23804	23804	7317
4	सारणी ताप विद्युत परियोजना विस्तार (2X250 मेगावाट)	3196	3196	3038
ब	ताप विद्युत गृहों का नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण	2940	940	55
स	सर्वेक्षण एवं अनुसंधान	160	160	1
	उप–योग उत्पादन (अ,ब,स)	30100	28100	12392
II	पारेषण	27500	27500	14546
III	उप–पारेषण एवं वितरण	77536	73540	26721
	योग (म.प्र.राज्य विद्युत मंडल की योजनायें)	135136	129140	53659
IV	अन्य योजनायें			
	अ. राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना	3000	3000	1246
	ब. डी.एफ.आइ.डी.	2000	2000	0
	कुल योग (म.प्र.राज्य विद्युत मंडल)	140136	134140	54905

टीपः–उपरोक्त व्यय के अतिरिक्त वर्ष 2010–11 अन्य वित्तीय संस्थाओं, यथा ऊर्जा वित्त निगम, हुडको,आर.ई.सी. इत्यादि के ऋण से कुल 702.67 करोड़ रुपये का व्यय भी किया गया है। इस प्रकार वर्ष 2010–11 में सितम्बर 2010 तक कुल 1251.72 करोड रुपये का व्यय किया गया है।

प्रपत्र–4

ताप विद्युत एवं जल विद्युत क्षमता मेगावाट में

ताप विद्युत गृह	स्थान	इकाई	क्षमता मेगावाट में	म.प्र का अंश क्षमता मेगावाट में
अमरकंटक ताप विद्युत गृह क 2	चचई	2 X 120	240	240
अमरकंटक ताप विद्युत गृह क. 3		1 X 210	210	210
सतपुड़ा ताप विद्युत गृह क 1	सारनी	5 X 62.5	312.5	187.5
सतपुड़ा ताप विद्युत गृह क 2		1 X 200	200	200
		1 X 210	210	210
सतपुड़ा ताप विद्युत गृह क 3		2 X 210	420	420
संजयगांधी ताप विद्युत गृह क 1	बिरसिहपुर	2 X 210	420	420
संजयगांधी ताप विद्युत गृह क 2		2 X 210	420	420
संजयगांधी ताप विद्युत गृह क 3		1 X 500	500	500
कुल ताप विद्युत			2932.5	2807.5
जल विद्युत गृह	स्थान	इकाई	क्षमता मेगावाट में	म.प्र अंश क्षमता मेगावाट में
गांधी सागर	गांधी सागर	5 X 23	115	57.5
पेंच	पेंच	2 X 80	160	107
बरगी	बरगी	2 X 45	90	90
टोंस	टोंस	3 X 105	315	315
बाण सागर देवलोंद	देवलोंद	3 X 20	60	60
बाण सागर सिलपरा	सिलपरा	2 X 15	30	30
बाण सागर – 4	झिन्ना	2 X 10	20	20
मड़ीखेड़ा	शिवपुरी	3 X 20	60	60
बिरसिंहपुर	बिरसिंहपुर	1 X 20	20	20
राजघाट	राजघाट	3 X 15	45	22.5
कुल जल विद्युत			915	782
अन्य राज्यों में स्थित जल विद्युत गृह				
राणा प्रताप सागर			172	86
जवाहर सागर			99	49.5
कुल जल विद्युत				917.5

पश्चिम क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं में म.प्र. का अंश
(31 मार्च 2010 की स्थिति में)
(सभी आंकड़े मेगावाट में)
सायंकालीन शीर्ष मांग के समय (समय 18.00 से 22.00 बजे तक)

क्र.	विद्युत गृह	इकाई की संख्या क्षमता	विद्यमान स्थापित क्षमता	आवंटित अंश	अनावंटित अंश में से आवंटित अंश	कुल आवंटित अंश
1	कोरबा सुपर थर्मल पावर स्टेशन (छत्तीसगढ़ में स्थित)	3X200 + 3X500	2100.00	400.00 19.05%	57.35	457.35
2	विन्ध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन–I (मध्यप्रदेश में स्थित)	6X210	1260.00	385.00 30.56%	41.26	426.26
3	विन्ध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन–II (मध्यप्रदेश में स्थित)	2X500	1000.00	273.00 27.30%	33.17	306.17
4	विन्ध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेषन–III (मध्यप्रदेश में स्थित)	2X500	1000.00	200.00 20.00%	34.74	234.74
5	सीपत सुपर थर्मल पॉवर स्टेशन (छत्तीसगढ़ में स्थित)	2X500	1000.00	143.00 14.30%	34.74	177.74
6	काकरापार आणविक पावर स्टेशन (गुजरात में स्थित)	2X220	440.00	93.00 21.14%	11.12	104.12
7	तारापुर आणविक पावर स्टेशन (महाराष्ट्र में स्थित)	2X540	1080.00	180.00 16.67%	37.52	217.52
8	कवास गैस आधारित पावर स्टेशन (गुजरात में स्थित)	4X106 + 2X116.1	656.20	140.00 21.33%	0.00	140.00
9	गंधार गैस आधारित पावर स्टेशन (गुजरात में स्थित)	3X144.3 + 224.49	657.39	117.00 17.80%	0.00	117.00
10	कुल		9193.59	1931.00	249.90	2180.90

II. पूर्वी क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं में म.प्र. का अंश

1	पूर्वी क्षेत्र के राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के कहलगांव–II से आवंटित अंश में से म.प्र.राज्य विद्युत मंडल को आवंटित अंश	74.00 मे.वा.
2	कुल	74.00 मे.वा.

III. केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं में म.प्र. का कुल अंश

1	पश्चिम क्षेत्र	2180.90 मे.वा.
2	पूर्वी क्षेत्र	74.00 मे.वा.
3	कुल	2254.90 मे.वा.

पश्चिम क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं में म.प्र. का अंश
(31 मार्च 2010 की स्थिति में)

(सभी आंकड़े मेगावाट में)

अन्य अवधि में (समय 00.00 से 18.00 बजे एवं 22.00 से 24.00 बजे तक)

क्र.	विद्युत गृह	इकाई की संख्या क्षमता	विद्यमान स्थापित क्षमता	आवंटित अंश	अनावंटित अंश में से आवंटित अंश	कुल आवंटित अंश
1	कोरबा सुपर थर्मल पावर स्टेषन (छत्तीसगढ़ में स्थित)	3X200 + 3X500	2100.00	400.00 19.05%	62.24	462.24
2	विन्ध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेषन– I (मध्यप्रदेश में स्थित)	6X210	1260.00	385.00 30.56%	44.77	429.77
3	विन्ध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेषन– II (मध्यप्रदेश में स्थित)	2X500	1000.00	273.00 27.30%	35.99	308.99
4	विन्ध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेषन– (मध्यप्रदेश में स्थित)	2X500	1000.00	200.00 20.00%	37.59	237.59
5	सीपत सुपर थर्मल पॉवर स्टेशन (छत्तीसगढ़ में स्थित)	2X500	1000.00	143.00 14.30%	37.59	180.59
6	काकरापार आणविक पावर स्टेशन (गुजरात में स्थित)	2X220	440.00	93.00 21.14%	12.03	105.03
7	तारापुर आणविक पावर स्टेशन (महाराष्ट्र में स्थित)	2X540	1080.00	180.00 16.67%	40.60	220.60
8	कवास गैस आधारित पावर स्टेशन (गुजरात में स्थित)	4X106 + 2X116.1	656.20	140.00 21.33%	0.00	140.00
9	गंधार गैस आधारित पावर स्टेशन (गुजरात में स्थित)	3X144.3 + 224.49	657.39	117.00 17.80%	0.00	117.00
10	कुल		9193.59	1931.00	270.81	2201.81

II. पूर्वी क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं में म.प्र. का अंश

1	पूर्वी क्षेत्र के राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के कहलगांव–II से आवंटित अंश में से म.प्र.राज्य विद्युत मंडल को आवंटित अंश	74.00 मे.वा.
2	कुल	74.00 मे.वा.

III. केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं में म.प्र. का कुल अंश

1	पश्चिम क्षेत्र	2201.81 मे.वा.
2	पूर्वी क्षेत्र	74.00 मे.वा.
3	कुल	2275.81 मे.वा.

पश्चिम क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं में म.प्र. का अंश
(30 सितम्बर 2010 की स्थिति में)
(सभी आंकड़े मेगावाट में)
सायंकालीन शीर्ष मांग के समय (समय 18.00 से 22.00 बजे तक)

क्र.	विद्युत गृह	इकाई की संख्या क्षमता	विद्यमान स्थापित क्षमता	आवंटित अंश	अनावंटित अंश में से आवंटित अंश	अनावंटित अंश में से बुन्देलखण्ड क्षेत्र को विशेष आवंटित अंश	कुल आवंटित अंश
1	कोरबा सुपर थर्मल पावर स्टेशन (छत्तीसगढ़ में स्थित)	3X200+ 3X500	2100.00	400.00 19.05%	33.01	52.63	485.64
2	विन्ध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन–I(मध्यप्रदेश में स्थित)	6X210	1260.00	385.00 30.56%	24.73	32.26	441.99
3	विन्ध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन–II(मध्यप्रदेश में स्थित)	2X500	1000.00	273.00 27.30%	19.96	25.47	318.43
4	विन्ध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन–III(मध्यप्रदेश में स्थित)	2X500	1000.00	200.00 20.00%	21.44	25.47	246.91
5	सीपत सुपर थर्मल पॉवर स्टेशन (छत्तीसगढ़ में स्थित)	2X500	1000.00	143.00 14.30%	21.44	25.47	189.91
6	काकरापार आणविक पावर स्टेशन (गुजरात में स्थित)	2X220	440.00	93.00 21.14%	6.34	11.21	110.55
7	तारापुर आणविक पावर स्टेशन (महाराष्ट्र में स्थित)	2X540	1080.00	180.00 16.67%	23.16	27.50	230.66
8	कवास गैस आधारित पावर स्टेशन (गुजरात में स्थित)	4X106+ 2X116.1	656.20	140.00 21.33%	0.00	0.00	140.00
9	गंधार गैस आधारित पावर स्टेशन (गुजरात में स्थित)	3X144.3 +224.49	657.39	117.00 17.80%	0.00	0.00	117.00
10	कुल		9193.59	1931.00	150.08	200.00	2281.08

II. पूर्वी क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं में म.प्र. का अंश

1	पूर्वी क्षेत्र के राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के कहलगांव–II से आवंटित अंष में से म.प्र.राज्य विद्युत मंडल को आवंटित अंश	74.00 मे.वा.
2	कुल	74.00 मे.वा.

III. केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं में म.प्र. का कुल अंश

1	पश्चिम क्षेत्र	2281.08 मे.वा.
2	पूर्वी क्षेत्र	74.00 मे.वा.
3	कुल	2355.08 मे.वा.

पश्चिम क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं में म.प्र. का अंश
(30 सितम्बर 2010 की स्थिति)
(सभी आंकड़े मेगावाट में)
अन्य अवधि में (समय 00.00 से 18.00 बजे एवं 22.00 से 24.00 बजे तक)

क्र.	विद्युत गृह	इकाई की संख्या क्षमता	विद्यमान स्थापित क्षमता	आवंटित अंश	अनावंटित अंश में से आवंटित अंश	अनावंटित अंश में से बुन्देलखण्ड क्षेत्र को विशेष आवंटित अंश	कुल आवंटित अंश
1	कोरबा सुपर थर्मल पावर स्टेशन (छत्तीसगढ़ में स्थित)	3X200+ 3X500	2100.00	400.00 19.05%	37.76	52.63	490.39
2	विन्ध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन– I (मध्यप्रदेश में स्थित)	6X210	1260.00	385.00 30.56%	28.27	32.26	445.53
3	विन्ध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन–II(मध्यप्रदेश में स्थित)	2X500	1000.00	273.00 27.30%	22.82	25.47	321.29
4	विन्ध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन–III(मध्यप्रदेश में स्थित)	2X500	1000.00	200.00 20.00%	24.33	25.47	249.80
5	सीपत सुपर थर्मल पॉवर स्टेशन (छत्तीसगढ़ में स्थित)	2X500	1000.00	143.00 14.30%	24.33	25.47	192.80
6	काकरापार आणविक पावर स्टेशन (गुजरात में स्थित)	2X220	440.00	93.00 21.14%	7.19	11.21	111.40
7	तारापुर आणविक पावर स्टेशन (महाराष्ट्र में स्थित)	2X540	1080.00	180.00 16.67%	26.28	27.50	233.78
8	कवास गैस आधारित पावर स्टेशन (गुजरात में स्थित)	4X106+ 2X116.1	656.20	140.00 21.33%	0.00	0.00	140.00
9	गंधार गैस आधारित पावर स्टेशन (गुजरात में स्थित)	3X144.3+ 224.49	657.39	117.00 17.80%	0.00	0.00	117.00
10	कुल		9193.59	1931.00	170.98	200.00	2301.98

II. पूर्वी क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं में म.प्र. का अंश

1	पूर्वी क्षेत्र के राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के कहलगांव–II से आवंटित अंश में से म.प्र.राज्य विद्युत मंडल को आवंटित अंश	74.00 मे.वा.
2	कुल	74.00 मे.वा.

III. केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं में म.प्र. का कुल अंश

1	पश्चिम क्षेत्र	2301.98 मे.वा.
2	पूर्वी क्षेत्र	74.00 मे.वा.
3	कुल	2375.98 मे.वा.

प्रपत्र–6(अ)

मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के योजना अन्तर्गत किये गये कार्यो का विवरण–

सामान्य विकास योजना (30.09.10 की स्थिति में)

क्र.	कार्य का नाम	इकाई	वर्ष 2009–10	वर्ष 2010–11 में 30 सितम्बर, 10 तक की प्रगति
1.	33 के.व्ही. लाइन	कि.मी.	0.00	0.00
2.	11 के.व्ही. लाइन	कि.मी.	49.28	0.00
3.	निम्न दाब लाइन			
	नये कनेक्शन हेतु	कि.मी.	1.66	0.00
5.	वितरण ट्रांसफार्मर			
	अ. नये	संख्या	8	0
	ब. क्षमता वृद्धि	संख्या	0	0

प्रपत्र–6(ब)

मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के योजना अन्तर्गत किये गये कार्यो का विवरण–

सामान्य विकास योजना वर्ष 2010–11 (30.09.10 की स्थिति में)

क्र.	कार्य का नाम	इकाई	वर्ष 2009– 10	वर्ष 2010–11 (30 सितम्बर) तक प्रगति
1.	33 केव्ही लाईन	कि.मी.	2	–
2.	11 केव्ही लाईन	कि.मी.	12.49	–
3.	निम्नदाब लाईन			
	(अ) नये कनेक्शन हेतु	कि.मी.	–	–
	(ब) सडक बत्ती हेतु	कि.मी.	–	–
4.	सडक बत्ती बिन्दु	संख्या	–	–
5.	वितरण ट्रांसफार्मर			
	(अ) नये	संख्या	45	–
	(ब) क्षमता वृद्धि	संख्या	–	–

प्रपत्र–6(स)

मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के योजना अन्तर्गत किये गये कार्यो का विवरण–

सामान्य विकास योजना वर्ष 2010–11 (30.09.10 की स्थिति में)

क्र.	कार्य का नाम	इकाई	वर्ष 2009– 10 की प्रगति	वर्ष 2010–11 (30 सितम्बर) तक प्रगति
1.	33 केव्ही लाईन	कि.मी.	–	–
2.	11 केव्ही लाईन	कि.मी.	822.780	626.52
3.	निम्नदाब लाईन	कि.मी.	532.60	496.33
4.	वितरण ट्रांसफार्मर	संख्या	1315	752

दिनांक 22–23 अक्टूबर, 2010 को खजुराहो ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट–2.
में ऊर्जा विभाग द्वारा हस्ताक्षरित एम.ओ.यू. की सूची

क.	कंपनी का नाम	प्रस्तावित स्थापित क्षमता (मेगावाट में)	प्रस्तावित अनुमानित निवेश (रू. करोड़ में)	जिले का नाम जहाँ पर परियोजना प्रस्तावित है
1	मेसर्स एन.टी.पी.सी.	3960	20,000	छतरपुर
2	मेसर्स वीडियोकॉन इन्डस्ट्रीज लिमि.	3600	18000	रीवा/कटनी
3	मेसर्स यूनीटेक इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा.लि.	1320	7000	खंडवा/खरगोन
4	मेसर्स एस्सेल इंफ्राप्रोजेक्ट लिमि.	660	2970	अनुपपूर
5	मेसर्स एन.के.जी. इंफ्रा पावर प्रा. लिमि.	660	3100	राजगढ़
6	मेसर्स पी.एन.सी. पावर प्रायवेट लिमि..	660	3300	दतिया
7	मेसर्स जे.के. लक्ष्मी सीमेंट लिमि.	660	3630	खंडवा
8	मेसर्स वीसा मिनमेंटल लिमि.	1320	7920	कटनी/शहडोल
9	मेसर्स के.आर. इनर्जी सर्विसेज प्रा.लि.	2640	14000	दतिया/सागर
10	मेसर्स वलेचा इंफ्रास्ट्रक्चर लिमि.	440	2200	कटनी/शहडोल/रीवा
11	मेसर्स अभिजीत इंफ्रास्ट्रक्चर लिमि.	1320	6500	शहडोल
12	मेसर्स अभिजीत वेंचर्स लिमि.	1320	6500	रीवा
13	मेसर्स जीएमआर बुदेंलखंड प्रायवेट लिमि.	1980	12000	टीकमगढ़
14	मेसर्स ईरा इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमि	480	2500	शहडोल/छतरपुर/अनुपपूर
15	मेसर्स एसईडब्ल्यू कार्बोन लिमि.	500	2200	गुना
16	ग्लोबल स्टील होल्डिंग कंपनी (गैस)	360	2000	12 जगह
17	ग्लोबल स्टील होल्डिंग कंपनी (गैस)	700	2500	गुना
18	ग्लोबल स्टील होल्डिंग कंपनी (कोल)	1320	6500	रीवा
19	निपाज पावर लिमि.	1320	7600	कटनी
20	एस.एम. इन्फ्रा पावर इण्डिया प्रायवेट लिमि.	660	3630	सतना/रीवा/कटनी
21	मेसर्स ओजस इनर्जी (एम.पी.) प्रा.लिमि.	600	3500	कटनी
22	मेसर्स इन्फ्रा स्ट्रक्चर फाइनेंस लिमि.	660	4000	कटनी

शाकेमुभो—1040—असऊवि—25-01-11—650.